सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2022-2023

CAQM

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2022 – 23

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

सत्रहवाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,

(एस. टी. सी. बिल्डिंग), टॉलस्टॉय मार्ग ,

नई दिल्ली – 110001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्ररूप और रीति) विनियम, 2022 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष के लिए आयोग का विधिवत लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

यह वार्षिक रिपोर्ट एतद्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप) विनियम 2021 के खण्ड 4 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 26 की उपधारा (2) के खंड (4) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक लेखा विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022, के खण्ड 3 के उप खण्ड 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अनुसरण में प्रस्तुत की जाती है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.12.2023

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव

अस्वीकरण (Disclaimer)

"प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय		पृष्ठ सं.
	संकेताक्षर		
1.	**परिचय**		1
2.	**आयोग का गठन**		2
3.	**आयोग की उप-समितियों का गठन**		5
4.	**आयोग का अधिदेश, लक्ष्य एवं उद्देश्य**		7
5.	**बीते वर्ष का अवलोकन**		9
6.	**वायु प्रदूषण की रोकथाम, इसका नियंत्रण और उपशमन- वर्ष 2022-23 में उठाए गए कदम, प्रस्ताव, अनुसंधान और अन्य उपाय**		
	6.1	नीति आधारित क्षेत्रीय पहल और हस्तक्षेप	17
	6.2	औद्योगिक प्रदूषण में कमी	18
	6.3	डीजल जनरेटर सेट पर नियंत्रण से वायु प्रदूषण में कमी	26
	6.4	निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों से धूल का प्रबंधन	29
	6.5	सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल का प्रबंधन	32
	6.6	वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी	34
	6.7	फसल अवशेष के जलाने पर नियंत्रण से वायु प्रदूषण में कमी	38
	6.8	एमएसडब्ल्यू और विविध कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण में कमी	46
	6.9	बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण में कमी	47
	6.10	वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली और वृक्षारोपण	49
	6.11	अनुसंधान एवं विकास पहल	54
	6.12	ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी)	56
	6.13	प्रवर्तन टास्क फोर्स- गुप्त निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते	58
7.	**स्थापना, वित्त और बजट**		60
8.	**लेखा का वार्षिक विवरण 2022-23**		67
9.	**वर्ष 2022 के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली की वायु गुणवत्ता**		68
10.	**अनुबंध**		74

संकेताक्षर

एआई	कृत्रिम मेधा
एक्यूईडबल्यूएस	वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली
एक्यूआई	वायु गुणवत्ता सूचकांक
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
ए एस जी	एंटी-स्मॉग गन
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कार्पोराशन लिमिटेड
बी एस	भारत स्टेज
सी एवं डी	निर्माण और विध्वंस
सीएक्यूएम	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
सीबीजी	कंप्रेस्ड बायो-गैस
सीबीओ	समुदाय आधारित संगठन
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीजीडी	सिटी गैस वितरण
सी.एच.सी	कस्टम हायरिंग सेंटर
सीएनजी	कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीडबल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	फसल अवशेष प्रबंधन
सीआरआरआई	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीटीओ	संचालन की सहमति
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डीसीएमसी	धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन कक्ष
डीडीए	दिल्ली विकास प्राधिकरण

डीएफपीआर	वित्तीय शक्ति नियमों का प्रत्यायोजन
डीजी	डीजल जनरेटर
डी एच आई	भारी उद्योग विभाग
डिस्कोम	वितरण कंपनियां
डीजेबी	दिल्ली जल बोर्ड
डीएमआरसी	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीपीसीसी	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
डीएसआईआईडीसी	दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम
डीएसएस	निर्णय समर्थन प्रणाली
डीयूएसआईबी	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
ईसी	पर्यावरण मुआवज़ा
ईसीडी	उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण
ईटीएफ	प्रवर्तन कार्य बल
ईवीएस	इलैक्ट्रिक वाहन
एफपीओ	किसान उत्पादन संगठन
एफवाई	वित्तीय वर्ष
गेल	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीएनसीटीडी	एनसीटी दिल्ली सरकार
जीआरएपी	ग्रेडेड एक्शन रिस्पोंस एक्शन प्लान
एचएआर	हरियाणा
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईएआरआई	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आई एंड एफसी	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
आईजीएल	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईआईटीएम	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
आईएमडी	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईओएजीपीएल	इंडियन ऑयल अदानी गैस प्रा. लिमिटेड

आईएसबीटी	अंतर-राज्य बस टर्मिनल
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
केएम	किलोमीटर
केडब्ल्यू	किलो वाट
एलडीओ	हल्का डीजल तेल
एलएनजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलएसएचएस	लो सल्फर हैवी स्टॉक
एमएएमसी	मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज
एमसीडी	दिल्ली नगर निगम
एमएल	यंत्र अधिगम
एमओए एंड एफडब्ल्यू	कृषि और किसान कल्याण' मंत्रालय
एमओसी एवं आई	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमओएचयूए	आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एमओपीएनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमआरएसएम	मैकनाइज़ेड रोड स्वीपिंग मशीन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसडब्ल्यू	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
एनबीसीसी	राष्ट्रीय भवन और निर्माण निगम
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरटीसी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनडीएमसी	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
नीरी	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान

एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनजीटी	राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
पीए	सार्वजनिक घोषणा
पीपीएम	पार्ट्स पर मिलियन
पीएम	पार्टिक्यूलेट मैटर
पीएनजी	पाइप्ड प्राकृतिक गैस
पीयूसी	प्रदूषण नियंत्रण में
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
राज	राजस्थान
आरडीएफ	अपशिष्ट से बना ईंधन
आरईसी डी	रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रित उपकरण
आरएफआईडी	रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान
आरओडब्ल्यू	रास्ते का अधिकार
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसडीएमसी	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीपीपी	थर्मल पावर प्लांट
टीएसआर	तीन सीटों वाला (ऑटो) रिक्शा
यूएलबी	स्थानीय शहरी निकाय
यूपी	उत्तर प्रदेश
डब्ल्यूटीई	अपशिष्ट से ऊर्जा
डब्ल्यूपी	रिट याचिका

1. परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) आयोग के कामकाज को नियंत्रित करता है। आयोग का गठन अन्य के अतिरिक्त, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों, दिल्ली के एनसीटी और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और स्वतंत्र तकनीकी सदस्यों के साथ किया गया है। आयोग को एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न वैधानिक उप-समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

आयोग का अधिकार क्षेत्र दिल्ली के एनसीटी के अलावा, एनसीआर में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी 24 जिलों तक व्याप्त है, जैसा कि नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है और साथ ही एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता पर असर डालने वाली गतिविधियों के लिए आसपास के क्षेत्रों तक भी व्याप्त है।

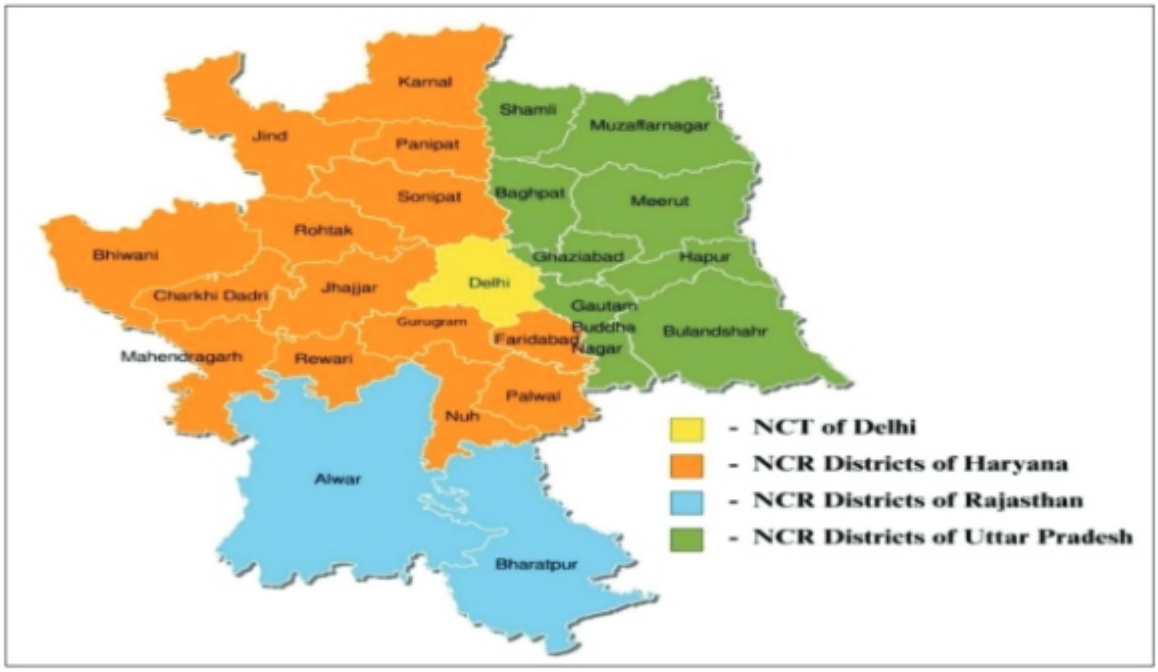

एनसीआर का क्षेत्र

2. आयोग का गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

(क) पूर्णकालिक अध्यक्ष

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव, के पद से निम्न नहीं होगा, पदेन ;

(ग) पांच पदेन सदस्य जो या तो मुख्य सचिव हों, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव हों ;

(घ) एक पूर्णकालिक सदस्य जो भारत सरकार का संयुक्त सचिव हो या रहा हो;

(ङ) वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों में विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों में से तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य;

(च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(छ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा नामित एक तकनीकी सदस्य, पदेन ;

(ज) वायु प्रदूषण से निपटने से संबंधित मामलों में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठनों के तीन सदस्य;

(झ) नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफ़ोर्मिंग इंडिया का एक प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव या सलाहकार के पद से निम्न न हो, पदेन ;

(ञ) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी, आयोग के पूर्णकालिक सदस्य-सचिव के रूप में;

(ट) तीन ऐसे सदस्य जो कृषि, उद्योग, परिवहन या निर्माण जैसे क्षेत्रों से हों।

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग ऐसे व्यक्तियों को सह सदस्यों के रूप में सह-योजित कर सकता है जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल है, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का नहीं हो, वाणिज्य या उद्योग के किसी भी संघ का एक प्रतिनिधि हो और ऐसे अन्य सदस्य जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

सीएक्यूएम अधिनियम के तहत अधिसूचित नियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है:

(क) 25 अक्टूबर 2021 को यथा संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2021, दिनांक :- 27 अगस्त 2021।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (नमूने लेने का तरीका और नोटिस का प्रपत्र) नियम, 2021, दिनांक-13 अक्टूबर , 2021।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022, दिनांक- 4 मई, 2022।

(घ) 06 अक्टूबर 2022 को यथा संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रवंधन आयोग (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022, दिनांक-11 जुलाई, 2022।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पदेन सदस्य के अलावा अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का तरीका) नियम, 2023, दिनांक- 21 फरवरी, 2023।

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अन्य सह सदस्य) नियम, 2023, दिनांक- 21 फरवरी, 2023।

(छ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (उप-समितियों के पदेन सदस्य के अलावा अन्य सदस्यों को देय भत्ता) नियम, 2023, दिनांक-21 फरवरी, 2023।

आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 10 की उपधारा (2) और (4) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने 17 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (व्यवसाय का संचालन और आयोग की शक्तियों के प्रत्यायोजन में शर्तें और सीमाएं) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया।

आयोग की शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग ने, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 07 अक्टूबर, 2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें आयोग की शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची निर्धारित की गई, जिसका प्रयोग पूर्ण आयोग,अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, सदस्य सचिव या उप-समितियां आदि द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

आयोग की मंजूरी के बाद, दिनांक 25 जून 2021 को भारत सरकार के जीएफआर और डीएफपीआर के अनुरूप, आयोग के पास निहित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक अनुसूची भी जारी की गई ।

3. आयोग की उप समितियों का गठन

अधिनियम की धारा 11 के तहत निम्नलिखित तीन उप –समितियां बनाने का अधिदेश दिया गया है:

(क) निगरानी और पहचान पर उप-समिति

निगरानी और पहचान पर उप -समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत, आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में, 07 अन्य सदस्यों वाले आयोग द्वारा किया गया था।

(ख) सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति

सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप -समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, समय-समय पर संशोधित आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, 15 अन्य सदस्यों वाले आयोग द्वारा किया गया था।

(ग) अनुसंधान और विकास पर उप-समिति

अनुसंधान और विकास पर उप -समिति का गठन अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, आदेश दिनांक 17.05.2021 के तहत, आयोग के पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में, 09 अन्य सदस्यों वाले आयोग द्वारा किया गया था।

जीआरएपी के लिए उप-समिति

दिल्ली-एनसीआर में आम तौर पर सर्दियों में प्रतिकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक सांद्रता एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्य योजना के रूप में उच्च वायु प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर, जनवरी 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को अधिसूचित किया गया था।

सीएक्यूएम अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत, जीआरएपी के तहत विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन और कार्रवाई करने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए 7 अक्टूबर, 2021 को आयोग द्वारा एक उप-समिति का भी गठन किया गया था जिसमें सीपीसीबी, डीपीसीसी, एचएसपीसीबी, आरएसपीसीबी, यूपीपीसीबी और सीएक्यूएम के सदस्य शामिल थे।

4. आयोग का अधिदेश, लक्ष्य एवं उद्देश्य

वायु गुणवत्ता सूचकांक से समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना की गई है।

आयोग को ऐसे सभी उपाय करने का अधिकार है, जो वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक या उचित समझे।

आयोग ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप, अपनी स्थापना के बाद से अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने और वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए क्षेत्र में कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयनके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सरकारों द्वारा सहयोगात्मक और समन्वित कार्यों के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य की सीमाओं के पार एक कॉमन "एयर-शेड" दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है।

आयोग को विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए हवा की गुणवत्ता के लिए मानदंड निर्धारित करने और उन क्षेत्रों में प्रतिबंध पर विचार करने का भी अधिकार है जिनमें किसी भी उद्योग या उद्योगों के वर्ग, संचालन या प्रक्रियाओं का वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

आयोग ने समय-समय पर एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम की धारा - 12 के प्रावधानों के तहत सांविधिक निदेश जारी किए हैं और वायु प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानदंड भी निर्धारित किए हैं। . इसके अतिरिक्त, परिकल्पित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्षेत्र स्तर के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के आदेश के साथ-साथ विभिन्न वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों की गंभीरता को बताने और इसे कम करने के लिए प्रभावी कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सलाह जारी की गई है ।

आयोग प्रतिष्ठित वैज्ञानिक/तकनीकी/अनुसंधान-आधारित संस्थानों के साथ भी जुड़ा हुआ है और इसने विभिन्न स्रोतों से वायु प्रदूषण की जांच और अनुसंधान की दिशा में परियोजनाएं/गतिविधियां शुरू की हैं।

प्रभावी प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों की दिशा में, आयोग ने वायु प्रदूषण के शमन और नियंत्रण से संबंधित, जिसमें सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन कार्रवाई के अलावा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / समिति के माध्यम से दोषी संस्थाओं पर पर्यावरणीय मुआवजा शुल्क लगाने जैसे निवारक उपाय शामिल हैं, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों, नियमों/विनियमों, वैधानिक निर्देशों और नीति दिशानिर्देशों आदि के तहत प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के लिए औद्योगिक परिसरों, निर्माण और विध्वंस स्थलों, सड़कों और खुले क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण भी किया।

मार्च 2023 तक समय-समय पर आयोजित आयोग, इसकी उप-समितियों और अन्य प्रगति समीक्षा बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

अवधि	पूर्ण आयोग की बैठकें	उप-समिति की बैठकें (जीआरएपी सहित)	अन्य समीक्षा बैठकें
2022-23 से पहले	09	25	55
2022-23 के दौरान	04	42	83

5. बीते वर्ष का अवलोकन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020 को पहली बार 28 अक्टूबर, 2020 को जारी किया गया था।

जब यह अध्यादेश 12 मार्च 2021 को समाप्त हो गया, ·एक और अध्यादेश अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 को 13 अप्रैल, 2021 को प्रख्यापित किया गया जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021के अधिनियमन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या की गई मानी जाएगी।

आयोग ने सितंबर, 2021 से 17वीं मंजिल , जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001 स्थित अपने पट्टे वाले कार्यालय से अपनी पूरी क्षमता और भूमिका में काम करना शुरू कर दिया है। आयोग के कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं और आईटी बुनियादी ढांचा समर्थित सक्षम सुविधाओं के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है और इसने एक गुणवत्ता बेंचमार्क स्थापित किया है। आयोग की द्विभाषी वेबसाइट (https://caqm.nic.in) इसकी विभिन्न गतिविधियों और निर्देशों के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है ।

प्रदूषण कारकों के निवारण हेतु पहल :

अपनी स्थापना के बाद से दिनांक 31.03.2022 तक, आयोग ने पूर्ण आयोग की नौ (9) बैठकों सहित विभिन्न क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं, जिनमें महत्वपूर्ण सांविधिक निर्देशों और सलाहों को मंजूरी दी गई। इसके बाद विभिन्न सहायक क्षेत्रों और संबंधित गतिविधियों से वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन और प्रवर्तन एजेंसियों / संस्थाओं को विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में ऐसे निदेश और सलाह जारी की गईं,:

- औद्योगिक प्रदूषण के स्रोत

- निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से धूल
- सड़कों, रास्तों और खुले क्षेत्रों से धूल
- विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों में धान की पराली जलाने से सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है
- वाहन प्रदूषण आदि।
- दिल्ली के 300 किमी के भीतर स्थित 11 टीपीपी से प्रदूषण

इस अवधि में दिनांक 31 मार्च 2022 तक संबंधित आदेशों के साथ कुल 62 सांविधिक निदेश और 7 सलाह जारी की गईं:

निदेश

निदेश सं. 1 से 5 दिनांक 23.12.2020
एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल नियंत्रण।
निदेश सं. 6 से 10 दिनांक 10.06.2021
धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु कार्य योजना की रूपरेखा।
निदेश सं. 11 से 18 दिनांक 11.06.2021
वेब पोर्टल के माध्यम से सी एंड डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी।
निदेश सं. 19 से 28 दिनांक 11.06.2021
दिल्ली-एनसीआर में सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा डीसीएमसी की स्थापना।
निदेश सं. 29 से 31 दिनांक 12.08.2021
एनसीआर में उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करने को बढ़ावा देने के लिए।
निदेश सं. 32 से 36 दिनांक 16.08.2021
उपग्रह डेटा का उपयोग करके धान के भूसे को जलाने की रिकॉर्डिंग के लिए मानक प्रोटोकॉल।
निदेश सं. 37-41 दिनांक 16.09.2021
पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन।
निदेश सं. 42 दिनांक 17.09.2021
कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों में सह-फायरिंग द्वारा पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए एक्स-सीटू धान के भूसे का प्रबंधन।
निदेश सं. 43 दिनांक 09.11.2021
दिल्ली में 10 चिन्हित सीमा प्रवेश स्थानों पर आरएफआईडी बुनियादी ढांचे के पूर्ण स्वचालन के लिए।
निदेश सं. 44 से 52 16.11.2021 एवं 20.12.2021 के बीच
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के कार्यान्वयन से संबंधित
निदेश सं. 53 दिनांक 04.02.2022
दिल्ली के एनसीटी से परे, एनसीआर में औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए बायोमास-आधारित ईंधन की अनुमति देना।
निदेश सं. 54 से 57 दिनांक 08.02.2022
दिल्ली-एनसीआर में बिजली उत्पादन डीजी सेट के उपयोग के लिए नियम।

निदेश सं. 58 से 61 दिनांक 22.02.2022
डीजी सेट के उपयोग को कम करने के लिए डिस्कॉम को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
निदेश सं. 62 दिनांक 17.03.2022
एनसीआर में बायोमास ईंधन बॉयलरों से पीएम उत्सर्जन के लिए व्यापक उत्सर्जन मानदंड/मानक।

परामर्शी

परामर्शी सं. 1 दिनांक 03.02.2021
ईवी नीतियों में कुछ क्षेत्रों के लिए ईवी की खरीद को अनिवार्य बनाना।
परामर्शी सं. 2 से 4 दिनांक 22.03.2021
सड़क व खुले क्षेत्रों से धूल कम करना -प्रबंधन - धूल नियंत्रण प्रबंधन कक्ष (डीसीएमसी) की स्थापना।

परामर्शी सं. 5 से 7 दिनांक 28.07.2021
एक्स-सिटू पराली प्रबंधन के विकल्प तलाशना और धान की पराली से वाणिज्यिक मूल्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक मॉडल विकसित करना

"स्वच्छ वायु संवाद" - एक प्रमुख हितधारक परामर्शी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सक्रिय सहयोग से आयोग ने संपूर्ण एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार-विमर्श करने के लिए 07-08 मार्च, 2022 को अपैरल हाउस, गुरुग्राम, हरियाणा में 2-दिवसीय "स्वच्छ वायु पर संवाद" का आयोजन किया।

विषयों-स्वच्छ वायु के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीए), वायु प्रदूषण को कम करने में नगर पालिकाओं और सेवा एजेंसियों की भूमिका, वाहन और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना , सतत कृषि अवशेष प्रबंधन , हरित और स्वच्छ वायु -पर पाँच तकनीकी सत्रों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक खुला सत्र/बातचीत का आयोजन किया गया।

श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ; श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्री केपी गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री, बिजली और भारी उद्योग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई । माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने भी वर्चुअल मोड में संवाद में भाग लिया।

संवाद के महत्वपूर्ण परिणाम

तकनीकी सत्र I- स्वच्छ वायु के लिए राष्ट्रीय मिशन

क्र.सं.	परिकल्पित क्रियाएँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1.	वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, चिन्हित हस्तक्षेपों और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के अनुरूप एनसीएपी के तहत शहर की कार्य योजनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा।	यूएलबी, एसपीसीबी/डीपीसीसी, सीपीसीबी
2.	वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों की निगरानी में यूएलबी की सक्रिय भागीदारी।	शहरी स्थानीय निकाय
3.	नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा निष्पादन	एसपीसीबी/डीपीसीसी, सीपीसीबी
4.	शहरों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।	एसपीसीबी/डीपीसीसी, यूएलबी

तकनीकी सत्र II - वायु प्रदूषण को कम करने में नगर पालिकाओं और सेवा एजेंसियों की भूमिका

क्र.सं.	परिकल्पित क्रियाएँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1.	अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के माध्यम से सैनिटरी लैंडफिल साइटों पर पुराने ठोस कचरे को नष्ट करने के लिए ठोस और समयबद्ध योजना ।	राज्य सरकार का शहरी कार्य विभाग, नगर निगम आयुक्त
2.	अपशिष्ट प्रसंस्करण से संबंधित बुनियादी ढांचे के कार्यों को पूरा करने और क्षमता वृद्धि के लिए समय सीमा में तेजी लाना ।	राज्य सरकार का शहरी कार्य विभाग, नगर निगम आयुक्त
3.	स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण पर प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण ।	शहरी स्थानीय निकाय

4.	अपशिष्ट रीसाइक्लिंग क्षमताओं का विस्तार और चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करना ।	राज्य सरकार का शहरी कार्य विभाग, नगर निगम आयुक्त
5.	निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के साथ-साथ सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपायों का कड़ाई से कार्यान्वयन, जिसमें सफाई, झाड-बुहार और धूल संग्रह के मशीनीकृत साधनों को बढ़ाना, साथ ही एंटी-स्मॉग गन / वॉटर स्प्रिंकलर और धूल उन्मूलक उपकरणों का व्यापक उपयोग शामिल है । .	एसपीसीबी/डीपीसीसी

सत्र-III - खुला सत्र/एनजीओ के साथ बातचीत

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, श्री भूपेन्द्र यादव ने विशेष खुले सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए एयर शेड दृष्टिकोण अपनाकर सहभागी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न मुद्दों, सुझावों और दृष्टिकोणों पर बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठनों और उद्योग संघों आदि के साथ बातचीत की और अनुसंधान संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, संघों और व्यक्तियों सहित 20 से अधिक हितधारकों ने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीतियों का सुझाव दिया।

तकनीकी सत्र IV - वाहन और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना

क्र.सं.	परिकल्पित क्रियाएँ	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1.	वाहनों को स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्राकृतिक गैस नेटवर्क का त्वरित विस्तार।	पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय , सीजीडी एजेंसियां
2.	पीएनजी/सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने और सब्सिडी आदि जैसेअन्य वित्तीय प्रोत्साहन पर विचार।	पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय

3.	दोपहिया वाहनों, वाहनों की सरकारी खरीद और वाणिज्यिक/डिलीवरी सेवा वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई-मोबिलिटी के प्रसार के लिए समयबद्ध और लक्षित नीतियां।	राज्य सरकारों के परिवहन विभाग
4.	बैटरी स्वैपिंग सहित बैटरी चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार।	राज्य सरकारों के परिवहन विभाग
5.	हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना।	राज्य सरकारों के परिवहन विभाग
6.	जीवाश्म ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक मोड में रेट्रो-फिटमेंट की संभावनाओं का अध्ययन करना।	आईएआरआई, डीएचआई
7.	एनसीआर में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और पीएनजी की आपूर्ति को पूरा करने का लक्ष्य।	पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सीजीडी एजेंसियां
8.	पीएनजी के साथ पूरक मोड में एनसीआर (दिल्ली से परे) में औद्योगिक अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में बायोमास को छर्रों/ब्रिकेट में संसाधित करने के लिए प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र।	सभी एनसीआर राज्य सरकारें, कृषि मंत्रालय
9.	सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के साथ एनसीआर में डीजी सेट का रेट्रो-फिटमेंट।	एसपीसीबी/डीपीसीसी, सीपीसीबी
10.	औद्योगिक क्षेत्रों में गैस के साथ दोहरे ईंधन मोड में डीजी सेट का रेट्रो-फिटमेंट उपलब्ध है।	एसपीसीबी/डीपीसीसी
11.	पूरे एनसीआर के उद्योगों में कोयला, डीजल तेल, एलडीओ, एलएसएचएस, पायरोलिसिस तेल, नेप्था आदि जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करना।	एनसीआर राज्य सरकारें, एसपीसीबी/डीपीसीसी, सीपीसीबी
12.	उद्योगों से उत्सर्जन के मानकों के अनुपालन पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाना।	एसपीसीबी/डीपीसीसी, सीपीसीवी

तकनीकी सत्र V - सतत कृषि अवशेष प्रबंधन

क्र.सं.	परिकल्पित कार्रवाई	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1.	विभिन्न एक्स-सीटू अनुप्रयोगों (जैसे औद्योगिक बॉयलरों, डब्ल्यूटीई संयंत्रों, ईंट भट्टों, टीपीपी में ईंधन के रूप में) और अन्य अनुप्रयोगों जैसे खाद, जैव-ईंधन/बायोगैस उत्पादन, बायो-मास बिजली, पैकेजिंग आदि के लिए बायोमास को बढ़ावा देना /	राज्य सरकारें, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	उद्योगों के लिए बायोमास ईंधन की निरंतर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना।	राज्य सरकारें
3.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि पुआल (पेलेट/ब्रिकेटिंग आदि) के प्रसंस्करण में शामिल उद्योगपतियों/उद्यमियों/एग्रीगेटरों के लिए भी बेलर और रेकर्स के लिए सब्सिडी पर विचार करेगा।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
4.	ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ सह-फायरिंग के लिए बायोमास का उन्नत उपयोग।	दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर एमओपी, एनटीपीसी और थर्मल पावर प्लांट।

तकनीकी सत्र VI - हरित एवं स्वच्छ वायु

क्र.सं.	परिकल्पित कार्रवाई	जिम्मेदार एजेंसियाँ
1.	एनसीआर में शहरी समूहों और शहरों में जहां भी संभव हो, "नगर वन" और "नगर वाटिका" के जाल का विस्तार करना, जिसमें सीमित शहरी स्थानों में घने वृक्षारोपण के लिए मियावाकी तकनीक को अपनाना शामिल है।	वन विभाग और शहरी कार्य विभाग, एनसीआर राज्य सरकारें ।
2.	बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में देशी प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए उचित पोषण और बेहतर जीवित रहने की दर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	एनसीआर राज्य सरकारें।

3.	एनसीआर में संपूर्ण सड़क नेटवर्क के साथ-साथ केंद्रीय मार्गों और फुटपाथों को हरा-भरा बनाने/पक्का बनाने के लिए लक्ष्य उन्मुख कार्य योजनाएँ।	एनसीआर राज्य सरकारों में सड़क स्वामित्व एजेंसियां, शहरी मामले विभाग।

"स्वच्छ वायु पर संवाद" की झलकियाँ - गुरुग्राम, 7-8 मार्च, 2022

6. वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन/2022-23 में उठाए गए कदम, प्रस्ताव, अनुसंधान और अन्य उपाय

6.1 नीति आधारित क्षेत्रीय पहल और हस्तक्षेप

वायु गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के उद्देश्यों की दिशा में, जैसा कि अधिनियम में अनिवार्य है, अपनी स्थापना के बाद से, आयोग एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को सख्ती से उठा रहा है और आयोग ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर मुख्य ध्यान के साथ वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले स्रोतों की पहचान की है :

औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से धूल, सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल, बायोमास जलाना, प्रासंगिक मामले जैसे कृषि अवशेषों को जलाना और पटाखे जलाना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना, स्वच्छता लैंडफिल में आग, घरेलू वायु प्रदूषण और विभिन्न अन्य बिखरे हुए स्रोतों आदि से वायु प्रदूषण।

इस संबंध में, 2022-23 के दौरान समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों/आदेशों और परामर्शिकाओं के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रमुख उपायों की पहचान की गई। आयोग ने आयोग और उसकी उप-समितियों की वैधानिक बैठकों के अलावा, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, एनसीआर राज्यों/एनसीटी दिल्ली के विभिन्न विभागों/प्राधिकरियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित परामर्शी और समीक्षा बैठकें भी कीं।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष "आदित्य दुबे (नाबालिग) और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य" रिट याचिका (सिविल) संख्या 1135 में के मामले में", माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 06.12.2021 को निम्नानुसार निदेश दिया:

" दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर साल होने वाले वायु प्रदूषण के खतरे का स्थायी समाधान खोजने की दृष्टि से, हम उक्त आयोग को आम जनता के साथ-साथ क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित करने का निदेश देते हैं... " वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने की नीति को अंतिम रूप देने से पहले, प्राप्त सुझावों पर उक्त प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया जाना चाहिए"

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में, आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से आम जनता के साथ-साथ क्षेत्र के विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए। आयोग ने एक विशेषज्ञ

समूह का भी गठन किया जिसने प्राप्त सुझावों की जांच की, हस्तक्षेपकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। विशेषज्ञ समूह ने प्राप्त सुझावों पर विचार करने के अलावा, मौजूदा वैज्ञानिक साहित्य, प्रासंगिक नीतियों, विनियमों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकारों की निधियन (फंडिंग) रणनीतियों, एक व्यापक नीति ढांचे के मसौदे के लिए कार्रवाई की वर्तमान स्थिति और सर्वोत्तम पद्धति/दृष्टिकोण आदि की भी समीक्षा की।

विशेषज्ञ समूह की मसौदा रिपोर्ट पर आयोग द्वारा 25.05.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोग ने जुलाई 2022 में **"एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति"** अपनाने का निदेश दिया , जिसमें एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने वाले सभी क्षेत्रों में एनसीआर जिलों/शहरों के लिए चरणबद्ध लक्षित और समयबद्ध कार्य योजनाओं की परिकल्पना की गयी है । नीतिगत दस्तावेज़ को उसमें बताए गए लक्षित कार्यों के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, एनसीआर राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी और पंजाब सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझा किया गया है।

6.2 औद्योगिक प्रदूषण में कमी

अपनी स्थापना के बाद से ही स्वच्छ ईंधन पर औद्योगिक संचालन कराना आयोग के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर, उद्योग प्रमुख रूप से पीएनजी में स्थानांतरित हो गए थे, कोयला, भट्ठी तेल, हल्के डीजल तेल और इसी प्रकार में अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन जीवाश्म ईंधन का उपयोग दिल्ली से परे एनसीआर में औद्योगिक स्पेक्ट्रम पर हो रहा है। इस प्रयोजन के लिए, आयोग ने उद्योगों को पीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित करने के रोड मैप के लिए संबंधित हितधारकों (एनसीआर राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सीपीसीबी, एनसीआर राज्यों के एसपीसीबी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के साथ कई बैठकें बुलाईं। आयोग द्वारा अनुमोदित स्वच्छ ईंधन की एक मानक सूची तैयार की गई थी और एनसीआर में इसके कार्यान्वयन के लिए श्रेणीबद्ध और चरणबद्ध प्रतिक्रिया तरीके से वैधानिक निदेश जारी किए गए थे, जिसका लक्ष्य 31.12.2022 तक एनसीआर में सभी उद्योगों को अनुमोदित ईंधन में परिवर्तित करना था। पीएनजी/सीएनजी/एलपीजी आदि जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन के अलावा, एक किफायती विकल्प की दिशा में और खेतों और खुले क्षेत्रों में बायोमास कृषि अवशेषों/पुआल आदि के अनियंत्रित जलने को कम करने के लिए आयोग द्वारा सख्त उत्सर्जन मानदंडों वाले बायोमास ईंधन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे एनसीआर में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुमति दी गई थी।

वैधानिक निदेश एवं आदेश

वैधानिक निदेश

निदेश संख्या 63 दिनांक 18.05.2022 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परे एनसीआर में नए उद्योगों के लिए बायोमास ईंधन के प्रयोग की अनुमति

निदेश संख्या 64 दिनांक 02.06.2022 - - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे एनसीआर में चुनिंदा औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुमेय ईंधन।

निदेश संख्या 65 दिनांक 23.06.2022 - एनसीआर में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए "अनुमोदित ईंधन की मानक सूची" * ।

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश दिनांक 16.11.2022 - एनसीआर में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी के लट्ठों की अनुमति नहीं (अपशिष्ट लकड़ी/वुडचिप्स आदि को छोड़कर)।

आदेश दिनांक 04.01.2023 - एनसीआर में कैप्टिव थर्मल पावर प्लांटों में अपवाद के रूप में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की अनुमति।

* तालिका : संपूर्ण एनसीआर के लिए अनुमोदित ईंधन की मानक सूची

- पेट्रोल (बीएस VI 10 पीपीएम सल्फर के साथ) - वाहन ईंधन
- डीजल (बीएस VI 10 पीपीएम सल्फर के साथ) - वाहन ईंधन और बिजली उत्पादन सेट के लिए ईंधन।
- हाइड्रोजन/मीथेन - वाहन और औद्योगिक प्रयोजन
- प्राकृतिक गैस (सीएनजी/पीएनजी/एलएनजी) - वाहन, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजन
- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)/प्रोपेन/ब्यूटेन - वाहन, औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनों

- बिजली - वाहन, औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू प्रयोजन
- विमानन टरबाइन ईंधन
- जैव ईंधन (जैव-अल्कोहल, जैव-डीजल, जैव-गैस, सीबीजी, जैव-सीएनजी) - औद्योगिक/वाहन/घरेलू प्रयोजनों के लिए, जैसा लागू हो।
- बिजली संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के लिए कचरे से व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)
- धार्मिक प्रयोजनों के लिए जलाऊ लकड़ी/बायोमास ब्रिकेट।
- होटल/रेस्तरां/बैंक्वेट हॉल (उत्सर्जन चैनलाइजेशन/नियंत्रण प्रणाली के साथ) और खुले भोजनालयों/ढाबों के तंदूर और ग्रिल के लिए लकड़ी/बांस का कोयला
- कपड़ा इस्त्री करने के लिए लकड़ी का कोयला।
- शवदाहगृहों के लिए बिजली/सीएनजी/जलाऊ लकड़ी और बायोमास ब्रिकेट।

तालिका: केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से परे एनसीआर में अनुमेय ईंधन

- औद्योगिक बॉयलरों, बिजली संयंत्रों, जैव ईंधन परियोजनाओं, सीमेंट उद्योग, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों आदि के लिए बायोमास/कृषि अपशिष्ट, चावल की भूसी, बेकार लकड़ी, लकड़ी के प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अपशिष्टों/बुरादा और चिप्स से बने पेलेट/ब्रिकेट।
- लकड़ी का कोयला - सीसा रीसाइक्लिंग (द्वितीयक प्रक्रिया) इकाइयों के लिए
- बायोमास पेलेट/ब्रिकेट - होटल/रेस्तरां/बैंक्वेट हॉल के तंदूर और ग्रिल के लिए (अनिवार्य उत्सर्जन चैनलाइजेशन/नियंत्रण प्रणाली के साथ) और खुले भोजनालयों/ढाबों के लिए।
- मेटलर्जिकल कोक - स्टैंडअलोन कपोला आधारित फाउंड्रीज़ में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए।
- "कम सल्फर ईंधन" अर्थात् एलएसएचएस, बहुत कम सल्फर ईंधन तेल और अल्ट्रा-लो सल्फर ईंधन तेल - धातु गलाने/पिघलाने/शोधन/हीटिंग भट्टियों और सुरंग/उष्मसह भट्टियों में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए।

औद्योगिक क्षेत्र में हितधारक परामर्शी

नीतिगत कार्रवाइयों, निर्देशों आदि के प्रभावी प्रसार और कार्यान्वयन के लिए, आयोग द्वारा एनसीआर में विभिन्न हितधारकों जैसे कि एसपीसीबी / औद्योगिक संघ / एमएसएमई आदि के साथ उत्सर्जन में पर्याप्त कमी और ऐसे अंतरण के तरीके के बारे में विमर्श बैठक आयोजित की गयी ताकि औद्योगिक / विविध के लिए स्वच्छ ईंधन की ओर अंतरण को लक्षित किया जा सके, जिसमें बड़ी संख्या में हितधारकों ने भाग लिया और बातचीत की। ऐसी पारस्परिक बातचीत में निम्नलिखित शामिल थे:

(i) हरियाणा के हितधारकों के साथ - 12.04.2022 को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, सेक्टर-18 गुड़गांव में

(ii) उत्तर प्रदेश के हितधारकों के साथ - 29.04.2022 को इंदिरा गांधी कला केंद्र सभागार, सेक्टर 6 नोएडा में

हितधारकों की इंदिरा गांधी कला केंद्र सभागार, सेक्टर 6 नोएडा, उत्तर प्रदेश में बैठक

आयोग औद्योगिक वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में प्रतिष्ठित तकनीकी/अनुसंधान-आधारित संस्थानों के साथ अपना सक्रिय सहयोग भी जारी रख रहा है। इस श्रृंखला में, आईआईटी दिल्ली में 10.12.2022 को "उद्योग दिवस" के अवसर पर, सदस्य सचिव ने प्रसिद्ध उद्योगपतियों, अनुसंधान विद्वान, छात्र और अन्य हितधारकों के सामने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आयोग की पहल की गतिविधियों और परिणामों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी ।

उद्योग दिवस, 10.12.2022 पर आईआईटी, दिल्ली में आउटरीच

उद्योगों को अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरित करना

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार, एनसीआर में ईंधन आधारित उद्योगों को अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरित करने की स्थिति इस प्रकार थी:

	हरियाणा (एनसीआर)	उ॰प्र॰ (एनसीआर)	राजस्थान (एनसीआर)	दिल्ली	कुल (एनसीआर)
ईंधन आधारित उद्योगों की कुल संख्या	3141	2273	522	1823	7759
स्वच्छ ईंधन (मुख्य रूप से पीएनजी) पर चलने वाले उद्योगों की संख्या	630	1161	198	1635	3624

एनसीआर के लिए एक मानक ईंधन सूची के अनुसार और वर्ष के दौरान अधिक से अधिक उद्योगों को स्वीकृत ईंधन पर स्थानांतरित करने के लिए एक ठोस अभियान के अनुसरण में, 31.03.2023 तक स्थिति में सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

	हरियाणा (एनसीआर)	उ॰प्र॰ (एनसीआर)	राजस्थान (एनसीआर)	दिल्ली	कुल एनसीआर
ईंधन आधारित उद्योगों की कुल संख्या	3141	2273	522	1823	7759
अनुमोदित ईंधन पर चलने वाले उद्योगों की संख्या	2954	2183	482	1823	7442
अनुमोदित ईंधन पर स्थानांतरण के लिए उद्योगों की शेष संख्या (स्वयं बंद या निदेशों के माध्यम से)	187	90	40	-	317

औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देशों का प्रवर्तन

उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में, आयोग द्वारा निम्नलिखित वैधानिक निदेश भी जारी किए गए थे:

i. पहले से ही पीएनजी से जुड़े उद्योगों का ऑडिट और निरीक्षण करना और सुनिश्चित करना कि वे उद्योग अन्य प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

ii. अनुमोदित ईंधन सूची में से किसी भी ईंधन पर नहीं चलने वाले उद्योगों का अनुमोदित ईंधन पर परिवर्तन सुनिश्चित करना।

iii. प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अस्वीकृत ईंधन के उपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी बनाए रखना और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।

iv. एनसीआर के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्थाओं के परामर्शी से एक समयबद्ध व्यापक कार्य योजना विकसित करना।

एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्र में पीसीबी/डीपीसीसी द्वारा निरीक्षण की स्थिति (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)					
क्र.सं.	पैरामीटर	दिल्ली	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	राजस्थान
1	इस अवधि के दौरान निरीक्षण किये गये उद्योगों की संख्या	10,133	5,426	3,366	1,932
2	वैधानिक आवश्यकताओं और/या उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले उद्योगों की संख्या	94	1214	224	431
3	उल्लंघन के लिए ईसी शुल्क लगाए गए उद्योगों की संख्या	89	43	70	19
4	उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर लगाई गई ईसी की राशि	120.45 लाख	211.21 लाख	209.59 लाख	63.82 लाख
5	घोर उल्लंघनों के लिए बंद करने के निदेश जारी किए गए उद्योगों की संख्या	--	171	168	31

एनसीआर में पीएनजी अवसंरचना और आपूर्ति

एनसीआर के लिए मानक अनुमोदित ईंधन को अपनाने की दिशा में, पीएनजी बुनियादी ढांचा और आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि बॉयलर, भट्टियों, हीटर इत्यादि के लिए अपनी ईंधन आवश्यकताओं के लिए पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन पर अंतरित करने के लिए अधिकाधिक उद्योगों को लक्षित किया जा सके। आयोग ने तदनुसार सभी हितधारकों के साथ इस संदर्भ में मामले को आगे बढ़ाया। अर्थात पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एनसीआर में सभी सिटी गैस वितरण एजेंसियां और औद्योगिक संघ आदि ताकि एनसीआर में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की शीघ्र उपलब्धता और पीएनजी की आपूर्ति की दिशा में काम किया जा सके।

31.03.2023 तक, एनसीआर के कुल 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 193 औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी और शेष 47 औद्योगिक क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश में 22,

हरियाणा में 15 और राजस्थान में 10) के संबंध में कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	ज़िला	अधिकृत संस्था	औद्योगिक क्षेत्रों की कुल संख्या	जुड़े हुए औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या	अभी तक जुड़ने के लिए शेष औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या
1	मेरठ	गेल/आईजीएल	13	6	7
2	भरतपुर	गेल	4	1	3
3	सोनीपत	गेल/एचपीसीएल	12	12	-
4	बागपत	बागपत ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	3	1	2
5	अलवर	टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड/हरियाणा सिटी गैस लिमिटेड	16	9	7
6	बुलन्दशहर	आईओएजीपीएल/अदानी टोटल गैस लिमिटेड	9	8	1
7	पानीपत	आईओएजीपीएल	7	5	2
8	फरीदाबाद	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	10	10	-
9	गाज़ियाबाद	आईजीएल	14	13	1
10	हापुड़	आईजीएल	9	1	8
11	मुजफ्फरनगर	आईजीएल	4	2	2
12	जींद	एचपीसीएल	2	0	2
13	शामली	आईजीएल	2	1	1

14	गुरूग्राम	आईजीएल/हरियाणा सिटी गैस	11	8	3
15	झज्जर	हरियाणा सिटी गैस	8	7	1
16	रोहतक	बीपीसीएल	4	4	-
17	दिल्ली	आईजीएल	51	51	-
18	गौतमबुद्धनगर	आईजीएल	37	37	-
19	करनाल	आईजीएल	3	3	-
20	रेवाड़ी	आईजीएल	3	3	-
21	चरखी दादरी	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	1	0	1
22	भिवानी	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	3	0	3
23	महेंद्र--गढ़	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	1	1	-
24	नूह	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	3	0	3
25	पलवल	अदानी टोटल गैस लिमिटेड	10	10	-
	कुल	-	**240**	**193**	**47**

6.3 डीजल जनरेटर सेट पर नियंत्रण से वायु प्रदूषण में कमी

अन्य सहायक कारकों में, डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट का बड़े पैमाने पर और अनियमित उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान का एक प्रमुख कारण है।

जबकि अतीत में समय-समय पर उत्सर्जन मानदंड निर्दिष्ट किए गए थे, जो निर्माण के चरण में डीजल जनरेटर की विभिन्न क्षमता श्रेणियों के लिए लागू होते थे, कमीशनिंग के बाद उपयोग में आने वाले जनरेटर के लिए कोई नियम नहीं हैं। तदनुसार, लगभग 90% डीजी सेटों में निर्माण के बाद से कोई उत्सर्जन नियम नहीं थे।

जहां तक एनसीआर में वायु गुणवत्ता का सवाल है, अन्य योगदान क्षेत्रों की तरह, डीजी सेट से पीएम उत्सर्जन चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है। कुल मिलाकर, डीजी सेट्स का एनसीआर गैर-प्राप्ति शहरों (एनसीएपी) में परिवेशी वायु प्रदूषण में लगभग 7-13% योगदान करने का अनुमान है। चूंकि नवीनतम उत्सर्जन मानदंड केवल नए जनरेटरों और पुराने जनरेटरों की सीमित संख्या की चिंताओं का समाधान करते हैं, इसलिए उपयोग में आने वाले जनरेटरों से होने वाले उत्सर्जन को भी संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

वैधानिक निदेश

निदेश सं॰ 54 से 57 तक दिनांक 08.02.2022
एनसीआर में 800 किलोवाट से कम क्षमता के डीजी सेट के उपयोग को विनियमित करना

निदेश सं 68 दिनांक 14.09.2022
एनसीआर में 800 किलोवाट से अधिक के डीजी सेट के उपयोग को विनियमित करना

निदेश सं॰ 58 से 61 तक दिनांक 22.02.2022
डीजी सेट के उपयोग को कम करने के लिए एनसीआर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम को निदेश

निदेश सं॰ 71 दिनांक 09.02.2023
पीएनजी अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में 800 किलोवाट क्षमता तक के डीजी सेटों में दोहरी ईंधन किट की स्थापना

हालाँकि, पूरी तरह से आपातकालीन सेवाओं की पूर्ति करने वाले डीजी सेट को जी आर ए पी के तहत नियमों के दायरे से बाहर रखा गया था। अन्य अनुप्रयोगों के लिए, आयोग ने डीजी सेटों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को रेट्रो-फिटमेंट करने और/या डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड (गैस और डीजल) में चलाने के लिए परिवर्तित करने का निदेश दिया। पूरी तरह से प्राकृतिक गैस/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले बिजली उत्पादन सेट भी नियामक व्यवस्था से बाहर हैं और इन्हें निर्बाध रूप से चलाया जा सकता है।

डीजी सेट में दोहरी ईंधन प्रणाली

आर ई सी डी के साथ डीजी सेट

जीआरएपी के तहत इस अवधि के दौरान एनसीआर में सभी अनुप्रयोगों के लिए 800 किलोवाट से अधिक क्षमता के डीजी सेट की अनुमति दी गई थी, जो इस श्रेणी के लिए निर्धारित "उपयोग में" उत्सर्जन मानकों के अनुपालन और पीएनजी आपूर्ति वाले क्षेत्रों में दोहरे ईंधन मोड में काम करने के अधीन थी।

एनसीआर में डीजी सेट के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति

22.02.2022 को जारी निदेश संख्या 58 से 61 के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया था:

विद्धुत मांग का व्यापक आकलन करें और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में पर्याप्त अग्रिम उपाय करें और एनसीआर में निर्बाध विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करें विशेष रूप से अक्टूबर-फरवरी के बीच की अवधि के लिए जब वायु गुणवत्ता के प्रतिकूल रहती है।

6.4 निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों से धूल का प्रबंधन

वैधानिक निदेश

निदेश सं॰ 69 दिनांक 02.11.2022

एनसीआर में सभी सी एंड डी परियोजनाओं के लिए निर्माणाधीन क्षेत्र के अनुपात में पर्याप्त संख्या में एंटी-स्मॉग गन की तैनाती।

क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के प्रबंधन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए , विशेष रूप से शुष्क गर्मी के मौसम के दौरान जब धूल प्रदूषण विशेष रूप से अधिक होता है , आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस मुद्दे का समाधान करने के लिए तात्कालिकता को पहचानते हुए संबंधित एजेंसियों को निदेश जारी किए। आयोग ने सी एंड डी परियोजनाओं में धूल से प्रदूषण का समाधान करने की दिशा में सक्रिय रुख अपनाते हुए दिशा-निदेश संख्या 69, दिनांक 02.11.2022 जारी किया, जिसमें एंटी-स्मॉग गन के उपयोग को अनिवार्य किया गया ।

एंटी-स्मॉग गन की तैनाती:

धूल उत्सर्जन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) की तैनाती निर्माण के क्षेत्र के अनुपात में होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- 5,000 से 10,000 वर्गमीटर तक के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 1 एएसजी।
- 10,001 और 15,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 2 एएसजी।
- 15,001 और 20,000 वर्गमीटर के बीच कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 3 एएसजी।
- 20,000 वर्गमीटर से अधिक के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 4 एएसजी।

निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल प्रदूषण को कम करने के संदर्भ में वैधानिक निदेश, नियम और नीति दिशा निर्देशों में निम्नानुसार धूल नियंत्रण और शमन उपायों की एक श्रृंखला शामिल हैं:

एनसीआर में सी एंड डी परियोजनाओं के संबंध में सामान्य दिशानिदेश:

क. परियोजना सीमा पर पवन अवरोधों/ब्रेकरों की तैनाती

ख. धूल रोधी स्क्रीन, विशेष रूप से परियोजना स्थलों पर निर्माणाधीन क्षेत्र को ढकना

ग. पानी के छिड़काव, पानी की धुंध और धूल-सप्रेसेंट का उपयोग

घ. निर्माण सामग्री के साथ-साथ मलबे को भी ढंकना

ड. ढके हुए वाहनों में सी एंड डी सामग्री का परिवहन

दूरस्थ निगरानी के लिए वेब-पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्र वाली सभी सी एंड डी परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण:

क. समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से सी एंड डी परियोजनाओं की निगरानी,

ख. सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए वीडियो फेंसिंग,

ग. संबंधित एजेंसियों द्वारा स्व-लेखापरीक्षा और प्रमाणन तंत्र की स्थापना करना।

घ. परियोजना स्थलों पर स्थापित कम लागत वाले वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी।

वेब पोर्टल पर सी एंड डी परियोजनाओं का पंजीकरण (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली - 749 परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश (एनसीआर) - 493 परियोजनाएं

हरियाणा (एनसीआर) - 509 परियोजनाएं

राजस्थान (NCR) – 27 परियोजनाएँ

निर्माण एवं विध्वंश स्थल पर धूल नियंत्रण उपाय

साइट की सीमा के साथ उचित ऊंचाई के विंड ब्रेकर।

एक निर्माण स्थल पर एएसजी का काम चल रहा है

खड़ी निर्माण सामग्री का उचित आवरण

निर्माणाधीन क्षेत्र के चारों ओर धूल रोधी स्क्रीन

निर्माण एवं विध्वंस स्थल पर यथा स्थान निरीक्षण

संबंधित वेब पोर्टलों के माध्यम से बड़े आकार की सी एंड डी परियोजनाओं की दूरस्थ निगरानी के अलावा, राज्य सरकारों/जीएनसीटीडी को पूरे एनसीआर में सी एंड डी साइटों का अक्सर भौतिक निरीक्षण विशेषत: गुप्त रूप में करने के निदेश दिये गए थे। इन निरीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न धूल शमन उपायों का बेहतर अनुपालन और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

इस कार्य के लिए समर्पित कई टीमों के साथ पूरे वर्ष गहन अभियान चलाए गए। 2022-23 के दौरान, इन टीमों ने 1,14,438 सी एंड डी साइटों पर औचक जांच और निरीक्षण किये। निरीक्षण की गई साइटों में से 4,801 साइटें विभिन्न सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और दिशानिर्देशों के साथ-साथ

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित धूल शमन उपायों के अनुरूप नहीं पाई गईं। इन उल्लंघनों के परिणाम स्वरूप 3,195.37 लाख रुपये का ई सी शुल्क. दोषी एजेंसियों पर लगाया गया। इसके अलावा, अनुपालन को लागू करने के लिए 1,349 साइटों पर काम रोकने के आदेश जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, वेब पोर्टल के माध्यम से सी एंड डी साइटों की दूरस्थ निगरानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण है।

इस प्रमुख सी एंड डी क्षेत्र के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशिष्ट समयसीमा के साथ लक्षित कार्य योजनाओं को आयोग की 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2022 की नीति' में एकीकृत किया गया है, जो न केवल महत्व को रेखांकित करता है बल्कि समय पर कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए एक रणनीतिक योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

6.5 सड़कों और खुले क्षेत्रों से हवा और धूल को रोकना

यह मानते हुए कि सड़कों और खुले इलाकों से निकलने वाली धूल क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद एनसीआर में सभी सड़क प्रबंधन एजेंसियों को निगरानी के लिए "धूल नियंत्रण और प्रबंधन कक्ष" स्थापित करने का निदेश दिया गया था। ताकि सड़क निर्माण परियोजनाओं में और सड़कों के नियमित रखरखाव के दौरान और खुले क्षेत्रों से धूल नियंत्रण के विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन किया जा सके।

निदेश मुख्य रूप से सड़क सफाई मशीनों के अधिकतम उपयोग, निर्दिष्ट स्थलों/लैंडफिल में एकत्रित धूल का वैज्ञानिक निपटान, विशेष रूप से मशीनीकृत सफाई के बाद धूल को दबाने के लिए सड़कों/आरओडब्ल्यू पर पानी का छिड़काव, मशीनीकृत सफाई और छिड़काव की क्षमता में वृद्धि / सड़कों का रख-रखाव और सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने के लिए नियमित निगरानी करना, सड़कों को इस तरह से निर्माण करना और मरम्मत करना जो पूरी तरह से मशीनीकृत सफाई में सहायक हो, गैर-पक्की सड़क के किनारों को पक्की सड़क या हरित क्षेत्रों में बदलना, सड़क के किनारों को हरा-भरा करना और सड़क की धूल के हॉटस्पॉट की पहचान करना और लक्ष्य विशिष्ट सड़क धूल नियंत्रण लागू करने जैसी गतिविधियों पर केन्द्रित है।

एनसीआर में "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन कक्ष" का गठन

क्षेत्र	डीसीएमसी की संख्या
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली	11
उत्तर प्रदेश	18
हरियाणा	17
राजस्थान	14

डीसीएमसी द्वारा शुरू किए गए धूल शमन उपायों के लिए वर्ष के दौरान आयोग द्वारा नियमित अनुवर्ती और समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं:

2022-23 के दौरान डीसीएमसी के लिए मुख्य पैरामीटर	
एमआरएसएम की औसत दैनिक तैनाती	• दिल्ली - 83 • यूपी (एनसीआर) – 29 • हरियाणा (एनसीआर) - 52 • राजस्थान (एनसीआर) - 06
जल छिड़काव मशीनों की औसत दैनिक तैनाती	• दिल्ली-462 • यूपी (एनसीआर)- 172 • हरियाणा (एनसीआर) - 191 • राजस्थान (एनसीआर) - 17
2022-23 के दौरान पक्की की गई गैर-पक्की सड़कों/रास्तों की लंबाई	• दिल्ली - 164 किमी • उत्तर प्रदेश (एनसीआर) - 1601 किमी • हरियाणा (एनसीआर) - 423 किमी • राजस्थान (एनसीआर) - 476 किमी
2022-23 के दौरान हरी-भरी गैर-पक्की सड़कों/रास्तों की लंबाई	• दिल्ली - 5 किमी • यूपी (एनसीआर) - 123 किमी • हरियाणा (एनसीआर) - 133 किमी • राजस्थान (एनसीआर) - 465 किमी
2022-23 के दौरान सेंट्रल वर्ज की लंबाई को हरा-भरा किया गया	• दिल्ली - 808 किमी • यूपी (एनसीआर) - 223 किमी

	• हरियाणा (एनसीआर) - 1489 किमी • राजस्थान (एनसीआर) - 66 किमी

सीपीसीबी, राज्य पीसीबी/डीपीसीसी और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी निर्धारित धूल शमन उपायों की नियमित निगरानी करने और लागू करने के लिए निर्देशित किया गया था

6.6 वाहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण में कमी

किसी भी अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर वाहनों की अप्रत्याशित संख्या को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ विचार-विमर्श के दौरान आयोग के लिए वाहन प्रदूषण को कम करना फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है।

निदेश संख्या 44 दिनांक 16.11.2021 को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग मुख्य रूप से इस क्षेत्र से संबंधित चिंता के निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वाहनों और परिवहन क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रहा है।

दिल्ली और एनसीआर से अधिक उम्र वाले/ आयु पूरी कर चुके (पुराने) वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना

रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 शीर्षक - एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.10.2018 के आदेशों और माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 07.04. 2015, के अनुसरण में आयोग ने एनसीआर की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निदेश दिया कि ऐसे वाहनों जो अपनी उपयोगिता आयु पूरी कर चुके/अधिक उम्र (10/15 वर्ष डीजल/पेट्रोल) के हो चुके हैं,को जब्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी, जिनका -पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया था लेकिन फिर भी एनसीआर में सड़कों पर चलते पाए गए थे।

2022-23 के दौरान जब्त किए गए वाहनों की संख्या	जीएनसीटीडी	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
	8091	183	441	2694

वाहनों से उत्सर्जन पर नियंत्रण की दिशा में, एनसीआर में पीयूसी व्यवस्था को मजबूत किया गया और आयोग द्वारा पीयूसी मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले

वाहनों को रोकने के लिए निदेश जारी किए गए। प्रभावी अनुपालन की दिशा में पूरे वर्ष अभियान चलाया गया, जिसमें नीचे दी गई सारणी के अनुसार दंडात्मक उपाय लागू करना भी शामिल है:

	जीएनसीटीडी	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
वर्ष के दौरान जारी किए गए पीयूसी की संख्या	43,00,695	17,90,179	1,30,763	25,06,680
पीयूसी न रखने पर जारी किए गए चालानों की संख्या	2,34,676	11,990	3,325	30,801
प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले/ओवरलोड वाहनों के लिए जारी किए गए चालानों की संख्या	6,856	1,41,924	5,742	14,527

सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ साधनों की ओर अग्रसर - सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार और एकीकरण

एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जुलाई, 2022 में आयोग द्वारा तैयार की गई व्यापक नीति, परिवहन क्षेत्र से वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में दिल्ली के लिए सीएनजी / ई-बसों के माध्यम से शहर की सार्वजनिक बस सेवा को बढ़ाने के लिए लक्षित समयसीमा निर्धारित करती है जो ईवी नीति के अनुरूप है। एनसीआर राज्य सरकारों को जनसंख्या सूचकांक के आधार पर आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार के मॉडल मानदंडों और सेवा स्तर बेंचमार्क के अनुसार सीएनजी / ई-बसों के माध्यम से शहरी सार्वजनिक बस सेवा को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है।

लक्षित समयसीमा

दिल्ली	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले से निर्धारित लक्ष्यों/आदेशों के अनुसार। ईवी नीति के अनुसार लक्ष्यों के साथ संरेखित।
गुरूग्राम, फ़रीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर और	31.12.2024 तक नियोजित बेड़े का 50% विस्तार

गाज़ियाबाद शहर	31.12.2026 तक नियोजित बेड़े का 100% विस्तार
अन्य एनसीआर शहर	31.12.2024 तक नियोजित बेड़े का 25% विस्तार 31.12.2025 तक नियोजित बेड़े का 50% विस्तार 31.12.2026 तक 100%।

वैधानिक निदेश

निदेश सं॰ 70 दिनांक 30.11.2022

एनसीआर में डीजल से चलने वाले टीएसआर (ऑटोरिक्शा) पर विनियम

डीजल आधारित सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को कम करने की दिशा में, आयोग ने केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो के नए पंजीकरण को अनिवार्य करने और एनसीआर में मौजूदा डीजल ऑटोरिक्शा को पूरी तरह से हटाने के निम्न निदेश जारी किए हैं:

(i) 01.01.2023 से पूरे एनसीआर में केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक ऑटो का नया पंजीकरण

(ii) 31.12.2024 तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद शहरों से और 31.12.2026 तक एनसीआर के अन्य सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से डीजल ऑटोरिक्शा को पूरी तरह से बाहर करना।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और कम करने के लिए, आयोग ने एनसीआर राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में निर्बाध यातायात प्रबंधन के लिए "इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम" विकसित करने और अपनाने की भी सलाह दी।

इलेक्ट्रिक गतिशीलता का समर्थन - बैटरी चार्जिंग बुनियादी ढाँचा

ई-मोबिलिटी के लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते हुए, दिल्ली और प्रमुख एनसीआर शहरों ने सामान्य मानदंडों के आधार पर महत्वपूर्ण स्थानों पर ईवी की बैटरी चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए पहल की है। हालांकि दिल्ली में यह बदलाव तेज है, सभी एनसीआर राज्यों के लिए ईवी नीतियां लागू हैं, जिनमें मांग-आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमों को अपनाने, चार्जिंग बुनियादी

ढांचे को प्रोत्साहित करने, बैटरी रीसाइक्लिंग और फंडिंग रणनीतियों सहित लक्ष्यों का विवरण दिया गया है।

एनसीआर में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थिति

क्षेत्र	ईवी चार्जिंग पॉइंट
दिल्ली	4344 बैटरी चार्जिंग प्वाइंट 256 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन
हरियाणा	139
उत्तर प्रदेश	275

ईवी चार्जिंग स्टेशन

6.7 फसल अवशेष जलाने से उत्पन वायु प्रदूषण में कमी

पंजाब सहित एनसीआर और उसके आसपास धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण, जो गंभीर चिंता का विषय है और हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता है, अपनी स्थापना के बाद से ही आयोग के लिए वायु प्रदूषण कम करना एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है।

वैधानिक निदेश

निदेश सं॰ 63 दिनांक 18.05.2022

दिल्ली से परे एनसीआर में नए उद्योगों के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग की अनुमति ।

निदेश सं॰ 67 दिनांक 12.09.2022

पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संशोधित कार्य योजना 2022 का क्रियान्वयन।

निदेश संख्या 72 दिनांक 17.03.2023

एनसीआर में कैप्टिव टीपीपी में बायोमास पेलेट्स की सह-फायरिंग।

सीएक्यूएम द्वारा 2021 के दौरान धान के अवशेष जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सुझाई गई एक व्यापक रूपरेखा और अतीत से मिली सीख के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पंजाब, हरियाणा राज्य सरकारों द्वारा अपने पूरे राज्यों तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान (अपने एनसीआर जिलों के लिए) धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजनाएं तैयार की गईं। कार्रवाई के निम्नलिखित प्रमुख स्तंभ हैं :

- अन्य फसलों और बासमती किस्म में विविधता
- कम भूसे वाली और जल्दी पकने वाली धान की फसल
- इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन
- बायो-डीकंपोजर अनुप्रयोग
- एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन
- पराली जलाने की रोकथाम के लिए आईईसी गतिविधियाँ
- निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन

धान की पराली प्रबंधन रणनीतियाँ

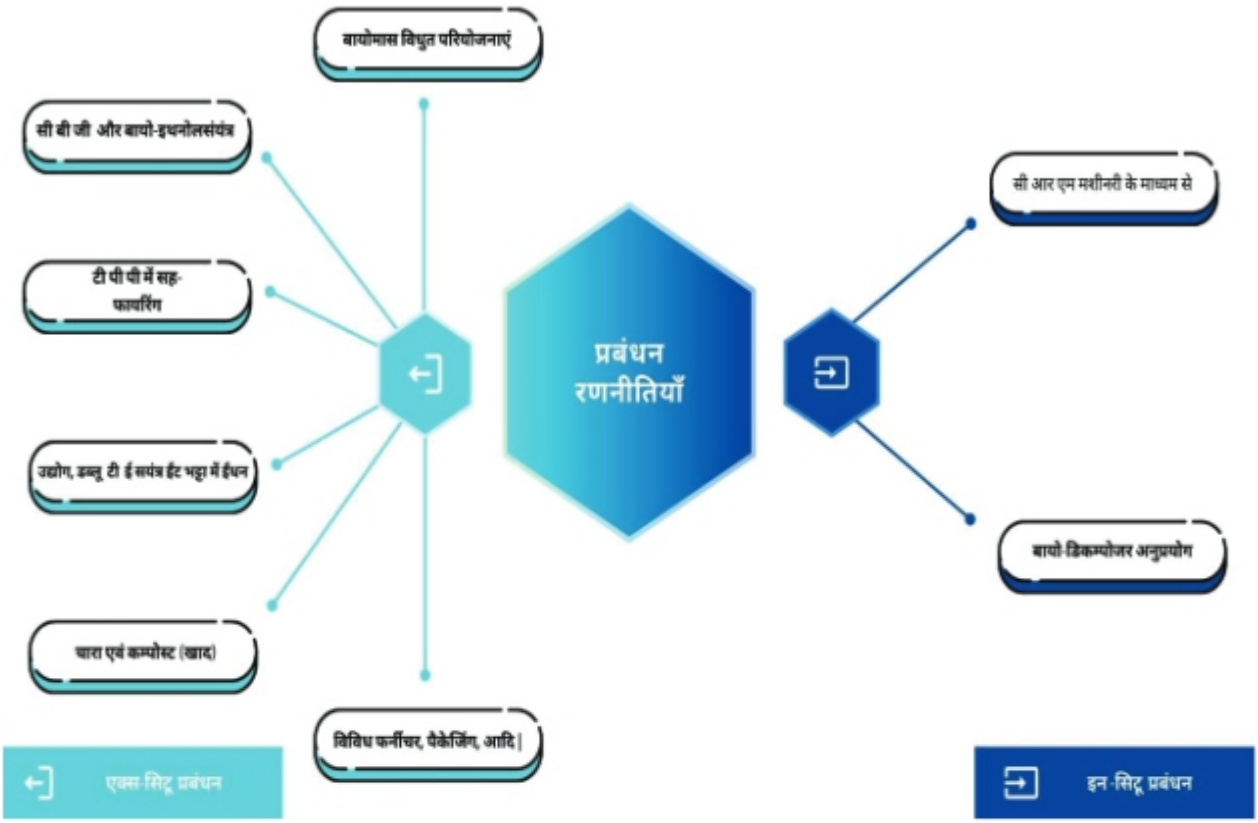

इन-सीटू धान के भूसे का प्रबंधन

(i) सीआरएम मशीनरी का इष्टतम आवंटन और उपयोग

(ii) मशीन के उपयोग में सुधार के लिए गॉव/ब्लॉक में अलग-अलग समय पर (क्रमबद्ध) कटाई

(iii) कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस अनिवार्य है

- ❖ सीधी खरीद के लिए आईएआरआई द्वारा एक रेट कांट्रेक्ट
- ❖ पाउडर के रूप में उपयोग के लिए तैयार पूसा बायो-डीकंपोजर

एक्स-सीटू धान पुआल प्रबंधन - पुआल से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना

आयोग ने 2021 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को पराली जलाने की समस्या से निपटने की रणनीतियों में से एक के रूप में " एक्स-सीटू पराली प्रबंधन" पर विस्तृत परामर्शिका जारी की थी। तदनुसार, राज्य सरकारों को धान के भूसे के एक्स-सिटू उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई थी।

कोयला आधारित टीपीपी में बायोमास पेलेट/टॉरिफाइड पेलेट (धान के भूसे पर ध्यान केंद्रित करने के साथ) की सह-फायरिंग के माध्यम से "एक्स-सीटू धान स्ट्रॉ प्रबंधन" की सुविधा के लिए एनसीआर और दिल्ली के 300 किमी के आसपास के क्षेत्रों में सभी 11 टीपीपी को भी निदेश जारी किए गए थे।

आर्थिक संसाधन के रूप में धान की पराली का प्रमुख वैकल्पिक उपयोग

i. बायोमास विद्युत परियोजनाएँ
ii. ताप विद्युत संयंत्रों में सह-फायरिंग
iii. 2जी इथेनॉल संयंत्रों के लिए फ़ीड स्टॉक
iv. कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों में फ़ीड स्टॉक
v. औद्योगिक बॉयलरों, डब्ल्यूटीई संयंत्रों, ईंट भट्टों आदि में ईंधन
vi. पैकेजिंग सामग्री, पैनल, बोर्ड आदि।
vii. प्रसंस्कृत चारा
viii. खाद (कम्पोस्ट)

हितधारकों द्वारा की गई पहल योजना

थर्मल पावर प्लांटों में सह-फायरिंग के लिए बायोमास पेलेट की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं और पहचान किए गए थर्मल पावर प्लांटों में परीक्षण/नियमित सह-फायरिंग की गई। विद्युत मंत्रालय के साथ सक्रिय समन्वय में नियमित आधार पर इस सम्बन्ध में प्रगति की गहन निगरानी और समीक्षा की गई।

आयोग द्वारा फरवरी, 2022 में एक निदेश जारी किया गया था, जिसमें पीएनजी के साथ बायोमास ईंधन पर एनसीआर (दिल्ली से परे) में उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई थी, साथ ही धान के भूसे के उपयोग को भी लक्षित किया गया था, ताकि एक्स-सिटू उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और अनियंत्रित परिस्थितियों में खुले में जलाने से रोका जा सके।

आईईसी गतिविधियाँ

संबंधित राज्य सरकारों/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग्स लगा कर, टीवी पर ऑडियो-विजुअल क्लिप, रेडियो जिंगल के प्रसारण,

पीए सिस्टम माउंटेड वैन, जिला और राज्य स्तर पर 'खरीफ गोष्ठी', प्रदर्शन शिविर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली आदि के माध्यम से व्यापक आईईसी गतिविधियां/जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए।

निगरानी/प्रभावी प्रवर्तन

सभी राज्यों के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर, उप-मंडलीय, क्लस्टर और ग्राम स्तर पर निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को संस्थागत बनाया गया था।

2022 के लिए व्यापक धान की पराली प्रबंधन योजना

व्यवस्थित अग्रिम योजना और प्रारंभिक कार्रवाइयों की दिशा में, आयोग ने 2022 के दौरान पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण और खेत की आग को काफी हद तक कम करने के लिए धान की बुआई के मौसम से काफी पहले फरवरी 2022 में पंजाब राज्य सरकार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। ये बैठकें निम्नलिखित पर केंद्रित थीं:

- सीआरएम योजना के माध्यम से अतिरिक्त कृषि मशीनरी की खरीद।
- कस्टम हायरिंग सेंटरों और सहकारी समितियों में मशीनरी का मानचित्रण।
- गॉव/क्लस्टर स्तर पर भिन्न- भिन्न समय वाली कटाई अनुसूची सहित उपलब्ध सीआरएम मशीनरी का ईष्ठतम उपयोग।
- इन-सीटू पराली प्रबंधन उपायों के पूरक के लिए बायो-डीकंपोजर अनुप्रयोग का विस्तार करना
- एक्स-सीटू उपयोग की दिशा में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करना ।
- पराली जलाने के खिलाफ अभियान और आईईसी गतिविधियों को तेज करना।
- निगरानी एवं प्रवर्तन कार्रवाई तेज करना।

धान की पराली का *इन-सीटू* प्रबंधन

धान के भूसे का गट्ठर बनाना

इन-सीटू धान की पराली प्रबंधन

	पंजाब		हरियाणा	
	2021	2022	2021	2022
उपलब्ध सीआरएम मशीनरी की कुल संख्या	90,422	1,17,672	53,725	72,777
सीएचसी की कुल संख्या	22,909	23,792	4,224	6,775
बायो-डीकंपोजर अनुप्रयोग (क्षेत्रफल एकड़ में)	7,500	8,000	1,00,000	2,50,000

धान की पराली का समग्र प्रबंधन

	पंजाब		हरियाणा	
	2021	2022	2021	2022
कुल पराली उत्पादन (मिलियन टन में)	18.74	19.99	6.8	7.0
इन-सीटू प्रबंधन				
सीआरएम मशीनरी और बायो-डीकंपोजर के माध्यम से (मिलियन टन में)	8.13	9.44	2.30	2.35
एक्स- सीटू प्रबंधन				
बायोमास पावर, बायो-एथेनॉल संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, उद्योग, टीपीपी आदि (मिलियन टन में)।	1.35	1.80	0.79	1.31
मवेशी चारे के रूप में (मिलियन टन में)	2.57	3.00	2.56	2.65

2022 में धान के अवशेष जलाने की घटनाएं

सभी हितधारकों और राज्य सरकार और जी एन सी टी डी द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के कारण और धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संबंधित कार्य योजना के कार्यान्वयन से, इस क्षेत्र में धान की पराली जलाने की कम घटनाएं देखी गईं और इससे प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्य में अपेक्षाकृत सुधार हुआ, जो आम तौर पर धान की फसल के मौसम के दौरान एनसीआर में रहता है।

सी ए क्यू एम के लिए इसरो द्वारा विकसित किये गये मानक प्रोटोकॉल के अनुसार, 15 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 की अवधि के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर जिलों में धान के अवशेष जलाने की कुल 53,792 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2021 के दौरान इसी अवधि की घटनाओं की तुलना में 32% कम थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

पंजाब		हरियाणा		उत्तर प्रदेश (एन सी आर)		कुल दिल्ली और राजस्थान (एन सी आर) भी शामिल	
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
71,304	49,922 -30%	6,987	3,661 -48%	252	198 -21%	78,550	53,792 -32%

" पराली –एक पूंजी "

सीएक्यूएम ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से एक आर्थिक संसाधन के रूप में धान की पराली के उपयोग को बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए 20 फरवरी, 2023 को चंडीगढ़ में एक दिवसीय कार्यशाला किया का आयोजन ।

कार्यशाला के दौरान दो विषयगत तकनीकी सत्र आयोजित किए गए।

तकनीकी सत्र- I - "सतत धान की पराली प्रबंधन" सीआरएम मशीनरी और आईईसी गतिविधियों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से प्रभावी इन-सीटू प्रबंधन द्वारा पराली के प्रबंधन पर केंद्रित था ।

तकनीकी सत्र- II - "कुशल एक्स- सीटू धान की पराली उपयोग" ने प्रभावी एक्स- सीटू प्रबंधन तकनीकों द्वारा पराली के प्रबंधन को लक्षित किया ।

कार्यशाला के विशेष सत्र की अध्यक्षता माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के पंजाब और हरियाणा दोनों के माननीय मुख्यमंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में की। अध्यक्ष, सीएक्यूएम ने दो सत्रों में की गई कार्यशाला वृतांत और प्रस्तुतियों का संक्षेप में सारांश प्रस्तुत किया ।

सदस्य सचिव, सीएक्यूएम ने एक प्रस्तुति के माध्यम से पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन रणनीति के महत्व और दायरे पर प्रकाश डाला, जिसमें एक्स-सीटू प्रबंधन योजनाओं के तहत धान के भूसे के उपयोग की गुंजाइश, विभिन्न उद्योगों में धान के भूसे के उपयोग के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व, इस संबंध में किए गए विकास और भविष्य की रणनीतियाँ भी शामिल हैं ।

इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के संबोधनों से सत्र लाभान्वित हुआ उसके बाद माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार ने विशेष रूप से सम्बोधित किया।

कार्यशाला के विशेष सत्र के बाद श्री भूपेन्द्र यादव, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में एक खुला इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न हितधारकों (एनजीओ, सामाजिक और धार्मिक समूहों, एफपीओ, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि के साथ खुली बातचीत में) माननीय मंत्री जी के समक्ष अपने सुझाव एवं विचार रखे।

कार्यशाला की झलकियाँ " पराली -एक पूँजी

6.8 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और विविध कचरे को जलाने से प्रदूषण को कम करना

लैंडफिल साइटों और खुले क्षेत्रों में आग की घटनाओं से बचाव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर)में संबंधित राज्यों के लिए कार्य योजनाओं में बायो-मास/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाने और लैंडफिल साइटों में आग पर नियंत्रण करने, प्रवर्तन टीमों की तैनाती, त्वरित शिकायत निवारण और आईटी सक्षम प्लेटफार्मों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में दिल्ली में सैनिटरी लैंडफिल साइटों में आग लगने की घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

दिल्ली में, औसतन 11,328 टीपीडी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 68% वर्तमान में गाजीपुर, तेहखंड और ओखला में स्थित एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण सुविधाओं के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित किया जाता है, जिनकी कुल क्षमता 8,229 टीपीडी है। 6,000 टीपीडी की कुल अतिरिक्त क्षमता के साथ डब्ल्यूटीई नरेला - बवाना डब्ल्यूटीई , डब्ल्यूटीई गाजीपुर और डब्ल्यूटीई ओखला में डब्ल्यूटीई जैसी तीन और नई सुविधाएं विभिन्न चरणों में चालू की जा रही हैं। एक बार इन सुविधाओं के चालू हो जाने के बाद, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को संसाधित करने की कुल क्षमता पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के दैनिक उत्पादन से अधिक हो जाएगी।

विरासत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को समाप्त करना

दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में स्थित तीन कचरा डंपिंग स्थलों में क्रमशः 140, 80 और 60 लाख टन विरासत अपशिष्ट के साथ 280 लाख टन विरासत अपशिष्ट जमा है।

विरासत एमएसडब्ल्यू को समाप्त करने की दृष्टि से दिल्ली के सभी तीन डंप स्थलों पर जैव-खनन का सहारा लिया गया है। 2022-23 के दौरान, लगभग 72.1 लाख टन विरासत अपशिष्ट का जैव-खनन किया गया था। मई 2024 तक इन साइटों से शेष विरासत अपशिष्ट को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

6.9 बिखरे हुए श्रोतों से प्रदूषण में कमी

पूर्ववर्ती एसडीएमसी क्षेत्राधिकार में एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से विभिन्न छितरी हुई (गैर-बिंदु) स्त्रोतों से प्रदूषण के आंकलन और उपशमन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रायोगिक परियोजना में सर्वेक्षणों/जन शिकायतों के आधार पर वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकीर्ण स्त्रोतों की पहचान करने और ऐसे मुद्दों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संबंधित एजेंसियों को दर्शाने/भेजने की परिकल्पना की गई थी। मुद्दों को जैसा उपयुक्त हो अल्पकालिक / दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ।

प्रायोगिक परियोजना की प्रगति, सीख और उत्साहजनक परिणामों के आधार पर इसे दिल्ली नगर निगम के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में दोहराया/ इसका पैमाना बढ़ाया गया है। दिल्ली प्रदुषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), नोडल अधिकारियों और विभिन्न अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के साथ-साथ उठाए गए मुद्दों के पंजीकरण, स्थानांतरण और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक एसओपी तैयार की गई थी। संबंधित एजेंसी द्वारा एक बार पूरा किए जाने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई पोर्टल पर वापस अपलोड की जाती है और इस कदम के बाद ही समस्या का समाधान होता है।

आयोग द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की गई। **मार्च 2023** तक लघु और दीर्घकालिक मुद्दों के एजेंसीवार समाधान की स्थिति निम्नानुसार थी:

एजेंसियां	उठाए गए कुल मुद्दे	कुल समस्याओं का समाधान	कुल लंबित मुद्दे	लंबित अल्पकालिक	लंबित दीर्घकालिक	उठाए गए कुल मुद्दे का लंबित प्रतिशत
एमसीडी	59026	54393	4633	2894	1739	8%
पीडब्ल्यूडी	26163	22274	3889	2090	1799	15%
एनडीएमसी	10525	10446	79	53	26	1%
आई एंड एफ सी	6444	3201	3243	889	2354	50%
डीजेबी	6517	4734	1783	560	1223	27%
डीडीए	4775	2466	2309	1360	949	48%
डीएसआईआईडीसी	2859	1247	1612	530	1082	56%
डी एम आर सी	1138	647	491	420	71	43%

एन एच ए आई	872	289	583	430	153	67%
डी यू एस आई बी	365	123	242	204	38	66%
सी पी डब्ल्यू डी	306	255	51	50	1	17%
एन बी सी सी	29	3	26	25	1	90%
एन सी आर टी सी	21	16	5	5	0	24%
कुल	**119040**	**100094**	**18946**	**9510**	**9436**	**16%**

परियोजना के अंतर्गत मुद्दों का स्पष्ट समाधान

कच्ची सड़क का पक्कीकरण

पूर्व

पश्चात

बंजर भूमि का हरितीकरण

पूर्व

पश्चात्

6.10 वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर में हरितीकरण और वृक्षारोपण

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाली और फोरेस्ट सिंक के निर्माण के माध्यम से धूल शमन करना महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीकरण और धूल के प्रवेश और जहरीली गैसों की सफाई के खिलाफ इस हरी दीवार की आवश्यकता है। इससे प्रेरित होकर , आयोग ने एनसीआर राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ हरियाली और वृक्षारोपण बढ़ाने का कार्य शुरू किया, जिसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों के लिए लक्ष्योन्मुख कार्य योजनाओं के लिए विभिन्न सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे एनएचएआई, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी आदि को भी शामिल किया गया, जिसमें एनसीआर में पूरे सड़क नेटवर्क के साथ केंद्रीय किनारों पर और फुटपाथों को हरा-भरा करना / पक्कीकरण शामिल है।

एनसीआर में सभी शहरी स्थानीय निकायों को विशेष रूप से कहा गया कि वे सीमित शहरी स्थानों में सघन वृक्षारोपण के लिए मियावाकी तकनीक को अपनाने सहित एनसीआर के शहरी समूहों और शहरों में जहां भी संभव हो, "नगर वन" और "नगर वाटिका" के जाल का विस्तार करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करें और कार्यान्वित करें।

केंद्रीय किनारों के साथ फूलदार पौधा रोपण द्वारा हरितीकरण

खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण

आयोग ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास में विभिन्न वृक्षारोपण अभियानों में छात्रों और निवासियों की भागीदारी पर जोर देते हुए नियमित आधार पर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। इन संस्थाओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सभी एनसीआर जिलों के लिए हरियाली और वृक्षारोपण कार्य योजना 2022-23 तैयार की गई।

वन विभाग, अलवर, राजस्थान द्वारा मृदा उपचार के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया

संबंधित कार्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति की आयोग द्वारा आवधिक रूप से निगरानी की गई थी। जबकि समग्र लक्ष्यों को पूरा किया गया था (जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा गया है), पौधों की गुणवत्ता और अपनाई गई प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अन्य गुणात्मक पहलुओं पर भी जोर दिया गया था। आयोग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रमुख तत्वों के रूप में निगरानी, वृक्षारोपण के बाद की देखभाल, जीवित रहने की दर की लेखा परीक्षा, पौधों को पानी देने के लिए रीसाइकिल पानी का उपयोग और देशी प्रजातियों के रोपण पर उचित रूप से जोर दिया।

एनसीआर क्षेत्र	लक्ष्य	वृक्षारोपण किया गया
दिल्ली	31,89,191	39,49,980

हरियाणा	85,06,999	87,96,324
राजस्थान	9,84,992	10,58,236
उत्तर प्रदेश	1,69,29,310	1,73,93,359
कुल	**2,96,10,492**	**3,11,97,899**

आयोग ने हितधारकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सलाह दी कि वे हरियाली के लिए उपयुक्त क्षेत्रों, सघन पादप रोपण के लिए क्षेत्रों की पहचान, भिन्न-भिन्न स्थानों के लिए उपयुक्त प्रजातियों की पहचान तथा पादप रोपण के पश्चात् देखरेख सुनिश्चित करने के साथ-साथ पादप रोपण कार्य कलापों के बेहतर समन्वय तथा निगरानी की दिशा में प्रत्येक संगठन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर ध्यान दें |

वृक्षारोपण अभियान में स्कूली छात्रों की सक्रिय भागीदारी।

15 अगस्त 2022 को विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण।

मियावाकी तकनीक के माध्यम से सघन वृक्षारोपण

आयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी वन के सृजन के लिए मियावाकी तकनीक सहित घने वृक्षारोपण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध जापानी वनस्पतिविज्ञानी और पारिस्थितिकीविद् डॉ अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित मियावाकी तकनीक, त्वरित पौधों के विकास के साथ घने, देशी जंगलों को स्थापित करने के लिए एक अग्रणी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस तकनीक का उद्देश्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में पौधे की वृद्धि दर दस गुना तेजी से और वृक्षारोपण घनत्व तीस गुना सघन प्राप्त करना है।

मियावाकी विधि संभावित प्राकृतिक वनस्पति अवधारणा पर आधारित अद्वितीय और अभिनव है, जो मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के बावजूद दुनिया भर में काम करने के लिए साबित हुई है। यह विधि 100% जैविक है और स्थानीय देशी पौधों का उपयोग करती है जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। कार्यप्रणाली में एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर देशी प्रजातियों की एक विविध सरणी लगाना शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जिसे प्रारंभिक तीन साल के स्थापना चरण के बाद न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है।

कार्यप्रणाली में स्थल चयन, मिट्टी परीक्षण, बायोमास चयन, वन सर्वेक्षण और प्रजातियों का चयन शामिल है। यह स्थल मिट्टी की खुदाई, बायोमास मिश्रण और मिट्टी के सूक्ष्म जीव विज्ञान को बढ़ाकर तैयार की जाती है। पौधे एक बहु-परत विधि का उपयोग करके लगाए जाते हैं, जिन्हें छड़ियों का सहारा प्राप्त होता है और ये जैविक पदार्थों के साथ गीली होते हैं। मियावाकी जंगल की सफलता के लिए उचित पानी और निरंतर निगरानी और रखरखाव आवश्यक है।

खुले स्थानों के प्रभावी उपयोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, एमसीडी ने वर्ष के दौरान मियावाकी तकनीक का उपयोग करके घने वृक्षारोपण परियोजनाएं शुरू कीं। मियावाकी वनों के लाभों में शहरी जैव विविधता में वृद्धि, कम गर्मी द्वीप प्रभाव, कार्बन अनुक्रम और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए समर्थन शामिल है।

आवासीय क्षेत्रों के आसपास खुले स्थानों में एमसीडी द्वारा मियावाकी वृक्षारोपण।

मियावाकी वृक्षारोपण में शामिल कदम

स्थल की तैयारी

मृदा परीक्षण

बायोमास मिश्रण

छड़ियों का सहारा लगाना और गीला करना

पानी डालना

जंगल की निगरानी और रखरखाव

मयूर विहार में दल्लूपुरा पार्क में 6 महीना पुराना मियावाकी वन

6.11 अनुसंधान और विकास पहल

आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की निगरानी, रोकथाम, नियंत्रण और कमी में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की दृष्टि से वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं/गैर-सरकारी संगठनों(एनजीओ)/सीबीओ/संघ/व्यक्तियों से विभिन्न प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के क्षेत्रीय प्रदर्शन और मूल्यांकन के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव और प्रायोगिक परियोजनाएं आमंत्रित की हैं जिसे प्रतिष्ठित शैक्षिक/अनुसंधान/वैज्ञानिक संस्थान द्वारा समन्वित और प्रस्तावित किया गया।

कुल 21 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से निम्नलिखित 07 को 2022-23 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी गई:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्रधान अन्वेषक/संस्थान	मियाद	परियोजना की स्वीकृत लागत
1.	क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी फुटेज अपलोड करके वाहन गणना के लिए एआई/एमएल टूल का उपयोग।	डॉ. के. वी. जॉर्ज, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रभाग, नीरी, नागपुर	15 महीने	50.0 लाख रुपये + जीएसटी @ 18%
2	दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एसएंडटी आधारित कार्य योजनाओं के साथ वाहनों के यातायात से उत्पन्न सड़क धूल को परिवेशी वायु में फिर से मिश्रित करना।	डॉ. एस. के. गोयल, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, सीएसआईआर-एनईईआरआई, डॉ. नीरज शर्मा, मुख्य वैज्ञानिक, टीपीई डिवीजन, सीआरआरआई	12 महीने	48.5 लाख रुपये + जीएसटी @ 18%
3	एनसीआर हॉटस्पॉट में वास्तविक समय वायु	डॉ रवि कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, थापर इंस्टीट्यूट	24 महीने	34.28 लाख रुपये

	गुणवत्ता निगरानी और प्रदूषक परिमाणीकरण के लिए एक स्वायत्त ड्रोन झुंड ढांचा।	ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला, पंजाब		
4	एनसीआर में दिल्ली और इसके सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली	डॉ. गौरव गोवर्धन, वैज्ञानिक 'सी' आईआईटीएम, पुणे	24 महीने	31.98 लाख रुपये
5	आनंद विहार, आईएसबीटी, दिल्ली में परिवेशी वायु शोधन प्रणाली का परीक्षण	डॉ. के.एस. राजन, प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग। एसएएसटीआरए डीम्ड यूनिवर्सिटी, तंजावुर	06 महीने	59.32 लाख रुपये
6.	रोलिंग स्टॉक और वाहनों के लिए सक्रिय फिल्टरलेस एयर क्लीनर रेट्रोफिट	डॉ. बहनी रे, सहायक प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी दिल्ली, श्री करण राव, संस्थापक, सीईओ, स्वच्छ. आई ओ	24 महीने	31.35 लाख रुपये
7	एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ 2		12 महीने	105.0 लाख रुपये

	पहिया और 3 पहिया ऑटो-रिक्शा के रेट्रो-फिटमेंट का मूल्यांकन	श्री रवीन्द्र कुमार, महाप्रबंधक एआरएआई, कोथरुड, पुणे		

6.12 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) में वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर एनसीआर में पहचान की गई एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए निवारक/प्रतिबंधात्मक आपातकालीन उपायों के विशिष्ट सेट का प्रावधान करता है।

जीआरएपी 2017 से लागू है जब इसे पहली बार पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं और शुरू की गई कार्रवाई, तकनीकी प्रगति और दिल्ली के लिए दर्ज वायु गुणवत्ता मापदंडों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जीआरएपी के विभिन्न चरणों के तहत निवारक / प्रतिबंधात्मक गतिविधियों की अनुसूची की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की।

जीआरएपी के पहले कार्यक्रम को एक विशेष वायु गुणवत्ता सूचकांक सीमा(थ्रेशोल्ड) तक पहुंचने पर प्रतिक्रियात्मक रूप से लागू किया गया था। यह परिकल्पना की गई थी कि वायु प्रदूषण की गंभीरता को नियंत्रित करने के लिए जीआरएपी को सक्रिय रूप से लागू करना एक बेहतर तरीका होगा और तदनुसार सीमा(थ्रेशोल्ड) स्तरों तक पहुंचने की संभावना से बहुत पहले जीआरएपी के उचित चरणों को लागू किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा आईएमडी/आईआईटीएम के माध्यम से निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के विकास और वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) मॉडलिंग में परिशोधन का समन्वय किया गया ताकि कम से कम 3 दिन पहले दिल्ली के लिए **वायु गुणवत्ता सूचकांक** का यथोचित सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके।

एनसीआर के लिए जीआरएपी का कार्यक्रम, जैसा कि 2022 में व्यापक रूप से समीक्षा और संशोधित किया गया था, तदनुसार दिल्ली में प्रतिकूल औसत वायु गुणवत्ता के 4 अलग-अलग चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था:

चरण – I 'खराब' (दिल्ली का एक्यूआई 201 से 300 के बीच)

चरण – II 'बहुत खराब' (दिल्ली का एक्यूआई 301-400 के बीच)

चरण – III 'गंभीर' (दिल्ली का एक्यूआई 401-450 के बीच)

चरण – IV 'गंभीर +' (दिल्ली का एक्यूआई >450)

जीआरएपी के चरण द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयां उस चरण के अनुमानित स्तरों तक पहुंचने वाले एक्यूआई के कम से कम तीन दिन पहले लागू की जानी अपेक्षित होती हैं, जो आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा आयोग को दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्रदान किए गए गतिशील मॉडल और मौसम/मौसम संबंधी पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं।

वायु प्रदूषण के चरण के अलावा, पिछले चरणों के अनुसार किए गए प्रतिबंधात्मक कार्यों को जारी रखा जाएगा, जिसके तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, चरण III श्रेणी के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जब भी लागू की जाती है, क्रमशः चरण प्रथम और द्वितीय के अंतर्गत होने वाली कार्रवाइयां के अतिरिक्त और इसी तरह की अन्य कार्रवाइयां होंगी।

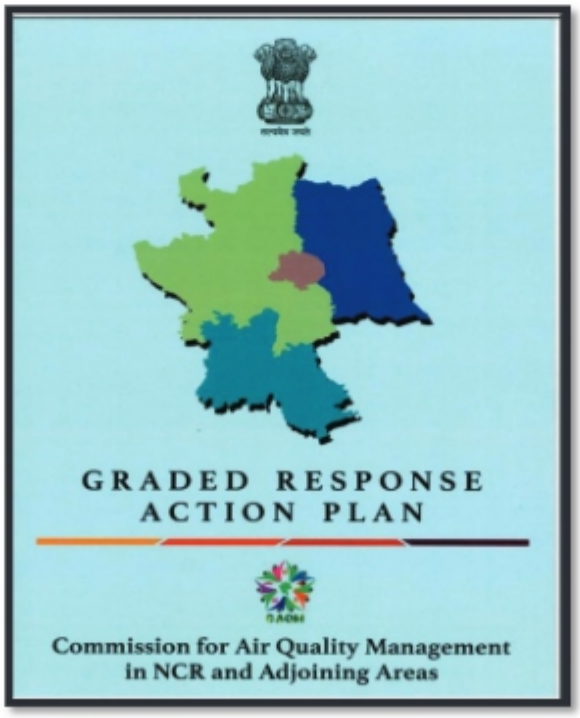

निदेश सं . 66 दिनांक 05.08.2022 -
एन सी आर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)

विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा पूरे एनसीआर में 01.10.2022 से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के सख्त कार्यान्वयन के लिए 05.08.2022 को निदेश संख्या 66 जारी किया गया था।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को लागू करना

जीआरएपी संबंधी उप-समिति का पुनर्गठन 06.09.2022 को सदस्य तकनीकी, सीएक्यूएम की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें सीएक्यूएम, सीपीसीबी, डीपीसीसी, एचएसपीसीबी, आरएसपीसीबी, यूपीपीसीबी, आईआईटीएम, आईएमडी के अन्य सदस्य और एमएएमसी,नई दिल्ली के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल थे। उप-समिति ने वर्ष के दौरान समय-समय पर 31 बैठकें आयोजित कीं और आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा प्रचलित वायु गुणवत्ता और एक्यूआई पूर्वानुमानों के आधार पर जीआरएपी के विभिन्न चरणों के तहत कार्रवाई को लागू किया/रद्द कर दिया।

जीआरएपी में निर्धारित प्रतिकूल वायु गुणवत्ता परिदृश्यों में एनसीआर में कुछ गतिविधियों , जो अर्थव्यवस्था और आजीविका के विकल्पों को भी प्रभावित करती है पर प्रतिबंध सहित निवारक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है । हालांकि, 2022 के दौरान अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता के कारण, पिछले वर्षों की तुलना में जीआरएपी चरण III और उससे ऊपर के दिनों की संख्या बहुत कम थी।

6.13 प्रवर्तन टास्क फोर्स - गुप्त निरीक्षण के लिए उड़न दस्ते

सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 की धारा 11 (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके अंतर्गत किए गए सक्षम प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने समय-समय पर जारी किए गए

वैधानिक निदेशों और संबंधित पर्यावरणीय विधियों के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए 02.12.2021 को प्रवर्तन टास्क फोर्स (ईटीएफ) नामक एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया।

प्रवर्तन टास्क फोर्स (ईटीएफ) की सहायता के लिए आयोग ने गंभीर उल्लंघनों/सांविधिक निदेशों की पहचान करने और गैर-अनुपालन की गंभीरता के आधार पर उन पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गुप्त जांच करने के लिए आयोग ने 40 उड़न दस्तों/निरीक्षण दलों का भी गठन किया है। प्रवर्तन टास्क फोर्स (ईटीएफ), अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से, फ्लाइंग स्क्वाड/निरीक्षण टीमों की सिफारिशों पर विचार करता है और आयोग द्वारा जारी विभिन्न कामबंदी निदेशों और बहाली आदेशों की स्थिति की समीक्षा सहित प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट पर उचित निदेशों की सिफारिश करता है।

31.03.2023 तक,उड़न दस्तों द्वारा कुल 13,119 स्थलों का निरीक्षण किया गया था। इनमें से 511 औद्योगिक परिसरों, 234 सी एंड डी स्थलों और डीजी सेटों का उपयोग करने वाली 41 संस्थाओं को विभिन्न वैधानिक निदेशों, दिशानिर्देशों और आदेशों के संबंध में घोर उल्लंघन/गैर-अनुपालन करते हुए पाया गया। तदनुसार, ऐसी 786 इकाइयों के संबंध में बंद करने के निदेश जारी किए गए थे। तथापि, आयोग द्वारा बाद में 597 ऐसी इकाइयों को समग्र उल्लंघनों को दूर करने के लिए ऐसी इकाइयों द्वारा यथोचित सुधारात्मक और निवारक उपायों के बाद और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आयोग के सभी सांविधिक निदेशों/दिशानिर्देशों और अन्य संबंधित विधियों का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रचालन पुन आरंभ करने की अनुमति दी गई थी।

लघु/मध्यम/दीर्घावधि में मात्रात्मक परिणामों के लिए सतत क्षेत्रीय स्तर के प्रयासों और लक्षित नीतिगत पहलों के साथ, यह आशा की जाती है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता परिदृश्य में वर्ष-दर-वर्ष और सुधार देखने को मिलेगा। आयोग की स्थापना से लेकर मार्च, 2023 तक आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों और परामर्शों की एक व्यापक सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

7. स्थापना, वित्त और बजट

सीएक्यूएम कार्यालय अवसंरचना और सुविधाएं

स्थापना

जैसा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया हैं कि आयोग में शीर्षस्थ पदाधिकारी डॉ एमएम कुट्टी इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त दो तकनिकी सदस्य नामतः डॉ एन पी शुक्ला और डॉ एस डी अत्री, साथ ही श्री अरविन्द कुमार नौटियाल , सदस्य सचिव एवं पदेन सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनो के सदस्य तथा अन्य सदस्य शामिल हैं।

आयोग का सचिवालय 17 वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली -110001 से संचालित है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ संविदा कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022, यथासंशोधित, आयोग में अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करता है।

भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में विभिन्न संवर्गों में आयोग के लिए 56 पदों को मंजूरी दी थी। ऐसे पदों का विवरण और 31.03.2023 तक की स्थिति निम्नानुसार है:

आयोग के स्वीकृत पद बनाम रोल पर कर्मचारियों की संख्या

(31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	पद का नाम	पे लेवेल	कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या	रोल पर
1.	निदेशक	13	01	02
2.	विधि सलाहकार	13	01	-
3.	वैज्ञानिक 'ई '	13	02	-
4.	उप सचिव	12	02	01
5.	वैज्ञानिक 'डी '	12	02	-
6.	वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव	12	01	-

7.	वैज्ञानिक 'सी '	11	02	-
8.	अवर सचिव	11	04	01
9.	उप विधि सलाहकार	11	01	-
10.	प्रमुख निजी सचिव	11	04	01
11.	वैज्ञानिक 'बी '	10	07	-
12.	सहायक विधि सलाहकार	10	01	-
13.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	9	01	-
14.	अनुभाग अधिकारी	8	04	01
15.	निजी सचिव	8	04	01
16.	सहायक अनुभाग अधिकारी	7	09	02
17.	निजी सहायक	7	05	
18.	सहायक लेखा अधिकारी	7	01	-
19.	विधि सहायक	7	02	-
20.	कनीय अनुवादक	6	01	-
21.	एकाउंटेंट	5	01	-
	कुल		**56**	**09**

घाटे को पूरा करने के लिए, सीएक्यूएम ने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत समग्र संख्या के भीतर अपनी भूमिकाओं और कार्यों के प्रबंधन के लिए आवश्यकता के आधार पर संविदात्मक जनशक्ति/संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति की है।

सामान्य प्रशासन

आयोग का सामान्य प्रशासन अनुभाग वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और रखरखाव, स्वच्छता, सुरक्षा, प्रोटोकॉल सुविधाओं, हाउसकीपिंग, परिवहन सुविधाओं आदि से संबंधित कार्यों को पूरा करता है। यह धारा कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल, सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के प्रावधानों के अनुसार

आयोग के विभिन्न प्रभागों को अपेक्षित सहायता प्रदान करके आयोग के सुचारू कार्यकरण को सुगम बनाती है।

विधिक प्रभाग

न्यायालय के मामलों और अन्य कानूनी मामलों के प्रभावी निपटान/निगरानी के लिए आयोग में एक विधिक प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रक्रियाओं पर सलाह और राय देने सहित कानूनी मामलों की निगरानी, समन्वय और पर्यवेक्षण में लगा हुआ है। वर्ष के दौरान, विधिक प्रभाग ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और एनजीटी के समक्ष दायर 18 अदालती मामलों को संभाला।

सतर्कता

सतर्कता अनुभाग आयोग में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता संबंधी मामलों को देखता है और यह अनुभाग सीवीसी के सामान्य मार्गदर्शन के अंतर्गत संगठन में सतर्कता गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस अनुभाग के कार्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात (i) निवारक सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता, और (iii) निगरानी और पता लगाना।

कर्मचारियों/नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 31.10.2022 को सीएक्यूएम में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया, जिसके दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी की शपथ ली।

2022-23 में सीएक्यूएम को अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और अपील, स्वत: प्रकटीकरण, संबंधित रिपोर्ट और विवरण सहित आरटीआई से संबंधित सभी मामलों से निपटने और आरटीआई मामलों में समन्वय के उद्देश्य से आयोग में एक आरटीआई सेल की स्थापना की गई है। तदनुसार, आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को पदनामित किया है।

सीएक्यूएम को 2022-23 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए और सभी 42 आरटीआई आवेदनों के खिलाफ आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 2 अपीलें प्राप्त हुई, जिनका समय पर निपटारा भी किया गया।

राजभाषा

आयोग विभाग के आधिकारिक कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति में निर्धारित हिंदी के प्रगामी उपयोग की निगरानी करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में सीएक्यूएम द्वारा संचालित गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

(क) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेना।

(ख) आयोग में 14 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान 'हिन्दीपखवाड़ा' का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 04 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। निबंध लेखन, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिंदी सुलेख और हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोग के अधिकारियों के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ग) आयोग के अधिकारियों द्वारा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(घ) 2022-23 के दौरान आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें (कुल 04 बैठकें) आयोजित की गईं।

शिकायत निवारण तंत्र

आयोग में एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें सभी लंबित अभ्यावेदनों/जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उनकी पाक्षिक समीक्षा की जाती है। आयोग द्वारा सप्ताह में तीन दिनों के दौरान बिना किसी पूर्व नियुक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित मुद्दों के त्वरित और प्रभावी समाधान की दिशा में आयोग द्वारा प्रदान किया जा सके।

आयोग ट्विटर सहित अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्राप्त वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को भी सक्रिय रूप से संबोधित कर रहा है, इस प्रकार एनसीआर में वायु प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

मीडिया और आउटरीच

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के पास एक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) और मीडिया सेल है, जो दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी संबंधितों के समन्वय से आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के संदर्भ में आयोग की पहुंच बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान, आयोग के मीडिया प्रभाग/प्रकोष्ठ ने मीडिया को 41 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियां/ब्रीफ जारी किए, जिन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन समाचार चैनलों, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया सहित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, एनसीआर के राज्य/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बीच व्यापक प्रचार प्राप्त हुआ।

वित्त और बजट

आयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से अपनी निधियां प्राप्त करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

शीर्ष	आवंटन सं.अ. 2022-23	प्राप्त अनुदान 2022-23	व्यय 2022-23	अप्रयुक्त निधियां (2023-24 में अग्रेषित)
सहायता अनुदान - सामान्य	14.15	13.40	12.65	0.75
सहायता अनुदान - वेतन	01.75	01.54	1.24	0.30
सहायता अनुदान –पूंजी	00.10	0	0	0
कुल	**16.00**	**14.94**	**13.89**	**1.05**

8. लेखा का वार्षिक विवरण 2022-23

वर्ष 2022-23 के लिए आयोग के लिए वार्षिक लेखा विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2022 के अनुसार तैयार किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन पर्यावरण और वैज्ञानिक विभागों के महानिदेशक (लेखा परीक्षा) के कार्यालय द्वारा खातों की लेखा परीक्षा की गई। उनकी टिप्पणियों की विधिवत जांच की गई और इस संदर्भ में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के साथ वार्षिक लेखा विवरण आयोग ने अंगीकार किया ।

आयोग के लिए वार्षिक लेखा विवरण (2022-23) की एक प्रति, विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई के साथ, **अनुबंध-2** में दी गई है।

9. 2022 के दौरान दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक रूप से, एक्यूआई डेटा को वित्तीय वर्ष की तुलना में संबंधित कैलेंडर वर्षों के लिए सीपीसीबी द्वारा दर्ज और बनाए रखा गया है।

आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से, कई ठोस कदमों के माध्यम से, इस उद्देश्य के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय और फील्ड कार्रवाई शुरू की है। अनुकूल जलवायु और मौसम संबंधी परिस्थितियों के साथ-साथ वर्ष भर विभिन्न हितधारकों के ठोस और लगातार प्रयासों ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की, जिसने पिछले वर्षों की तुलना में **2022** के दौरान वायु गुणवत्ता मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार देखा (कोविड प्रभावित वर्ष **2020** के दौरान बहुत कम मानवजनित, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की अवधि को छोड़कर)। पूर्ण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण)। दिल्ली के लिए विभिन्न वायु गुणवत्ता मापदंडों के लिए एक तुलनात्मक वर्ष-वार विश्लेषण निम्नानुसार है:

वर्ष के दौरान दिल्ली के लिए दैनिक औसत एक्यूआई

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
दैनिक औसत एक्यूआई	225	215	185	209	209

दैनिक औसत एक्यूआई

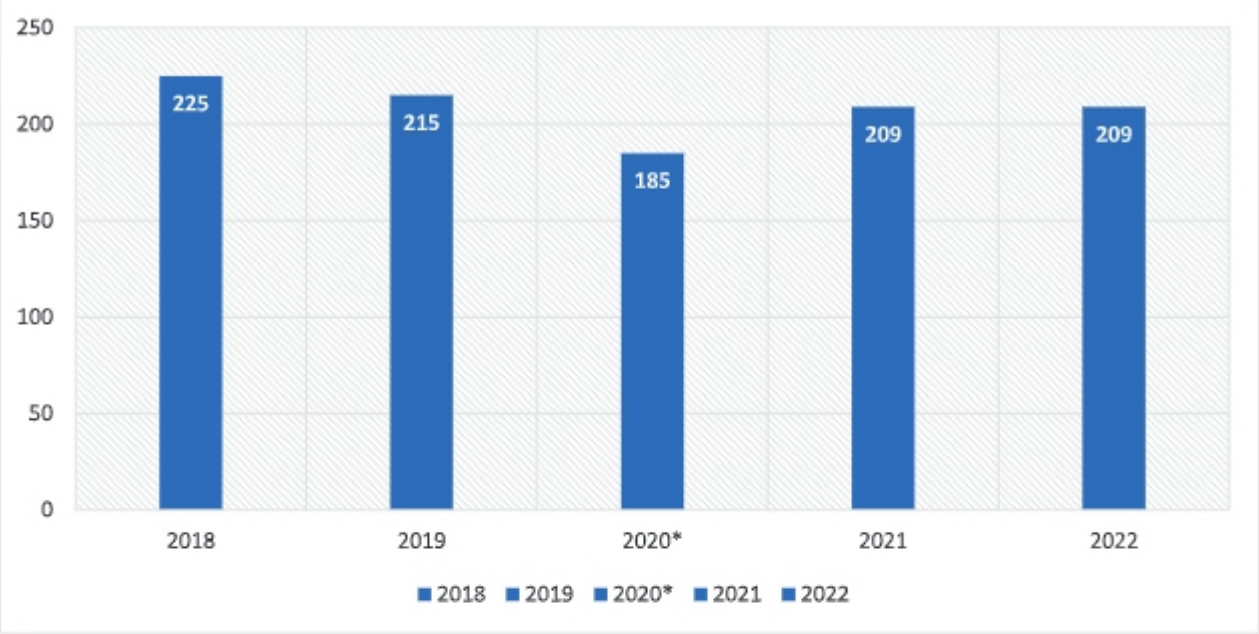

औसत एक्यूआई

*** कोविड वर्ष**

पूरे वर्ष 2022 के दौरान दिल्ली के लिए औसत दैनिक एक्यूआई अब तक का सबसे अच्छा रहा है, लेकिन 2020 को छोड़कर, जिसमें लॉकडाउन के निरंतर दौर और साल भर कम मानवजनित गतिविधियों के कारण असाधारण एक्यूआई देखा गया। जबकि 2021 के दौरान काफी अवधि के लिए प्रतिबंध भी जारी थे, जिससे औद्योगिक, वाहन और अन्य मानवजनित गतिविधियों का स्तर कम हो गया था, 2022 में दैनिक औसत एक्यूआई, जिसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था और सभी मानवजनित गतिविधियां अपेक्षाकृत बहुत अधिक अनुपात में,सामान्य हो रही थीं; 2021 के स्तर पर बनाए रखा गया था।

वर्ष 2022 ने दिल्ली में अब तक के 3 महीने (जनवरी, फरवरी और दिसंबर) में सबसे अच्छा दैनिक औसत एक्यूआई और 2018 से 2022 तक की पूरी अवधि के दौरान 3 महीने (जुलाई, अक्टूबर और नवंबर)में ,यहां तक कि 2020 और 2021 के कोविड प्रभावित कम गतिविधि वर्षों को भी ध्यान में रखते हुए दूसरा सबसे अच्छा दैनिक औसत एक्यूआई देखा । 2022 में अप्रैल, मई और जून के दौरान असाधारण रूप से लंबे समय तक शुष्क मौसम, न केवल आस-पास के क्षेत्रों से बल्कि सीमा पार से भी महीन धूल और कणों के परिवहन के

परिणामस्वरूप, इन महीनों के लिए खराब एक्यूआई रहा, जो अन्यथा पिछले वर्षों की तुलना में 2022 के दौरान अन्य सभी महीनों के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर था।

पीएम 10 और पीएम 2.5 की तुलनात्मक सांद्रता

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, दैनिक औसत पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन (पीएम 2.5 और पीएम 10) के संदर्भ में, दिल्ली में तुलनात्मक **सांद्रता** निम्नानुसार है:

वर्ष	दैनिक औसत पीएम 10 (µgm/m^3)	दैनिक औसत पीएम $_{2.5}$ (µgm/m^3)
2018	243	115
2019	218	108
2020*	181	95
2021	213	105
2022	211	98

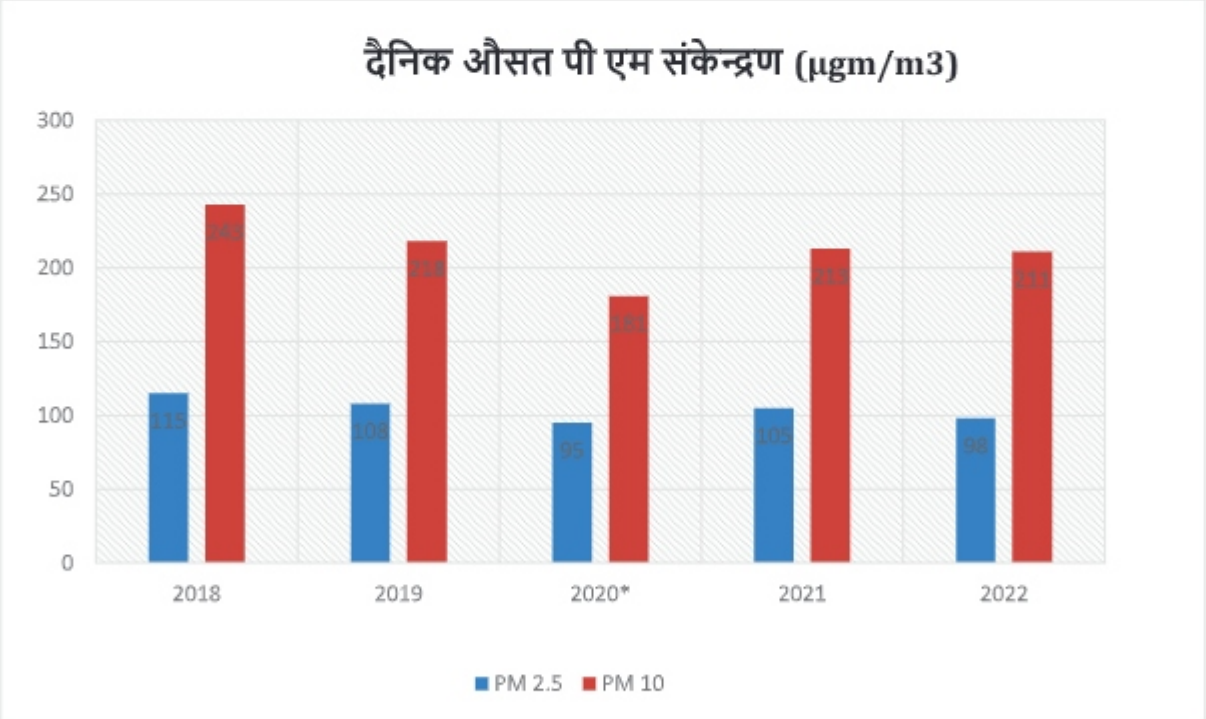

इस प्रकार वर्ष 2022 में कोविड प्रभावित 2020 को छोड़कर सबसे कम मानवजनित गतिविधियों के साथ पीएम 10 और पीएम 2.5 के लिए अब तक का सबसे कम दैनिक औसत मान देखा गया है, । 2021 में भी

प्रतिबंध जारी रहने के बावजूद, 2022 में पीएम 10 और पीएम 2.5 सांद्रता (क्षेत्र में सभी गतिविधियों के साथ) 2021 में दर्ज की गई तुलना में भी कम थी।

तुलनात्मक वायु गुणवत्ता वर्गीकरण

एक्यूआई के आधार पर वायु गुणवत्ता श्रेणी		वर्ष के दौरान दिनों की संख्या				
		2018	2019	2020	2021	2022
अच्छा	(0-50)	0	2	5	1	3
संतोषप्रद	(51-100)	53	59	95	72	65
मध्यम	(101-200)	106	121	127	124	95
ख़राब	(201-300)	114	103	75	80	130
बहुत ख़राब	(301-400)	72	56	49	64	66
गंभीर	(401-450)	20	19	13	20	6
गंभीर +	>450	0	5	2	4	0

पिछले वर्षों की तुलना में 2022 में "अच्छे" वायु गुणवत्ता दिनों (2020 को छोड़कर) की अधिकतम संख्या देखी गई। पिछले सभी वर्षों की तुलना में 2022 के दौरान "गंभीर" वायु गुणवत्ता (एक्यूआई 401 - 450) के साथ दिनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई। दिल्ली को 2022 के दौरान किसी भी "गंभीर +" दिन (एक्यूआई > 450) से भी बचाया गया था, जो कि 2020 और 2021 के कोविड प्रभावित वर्षों सहित पिछले **3** वर्षों में ऐसा नहीं था।

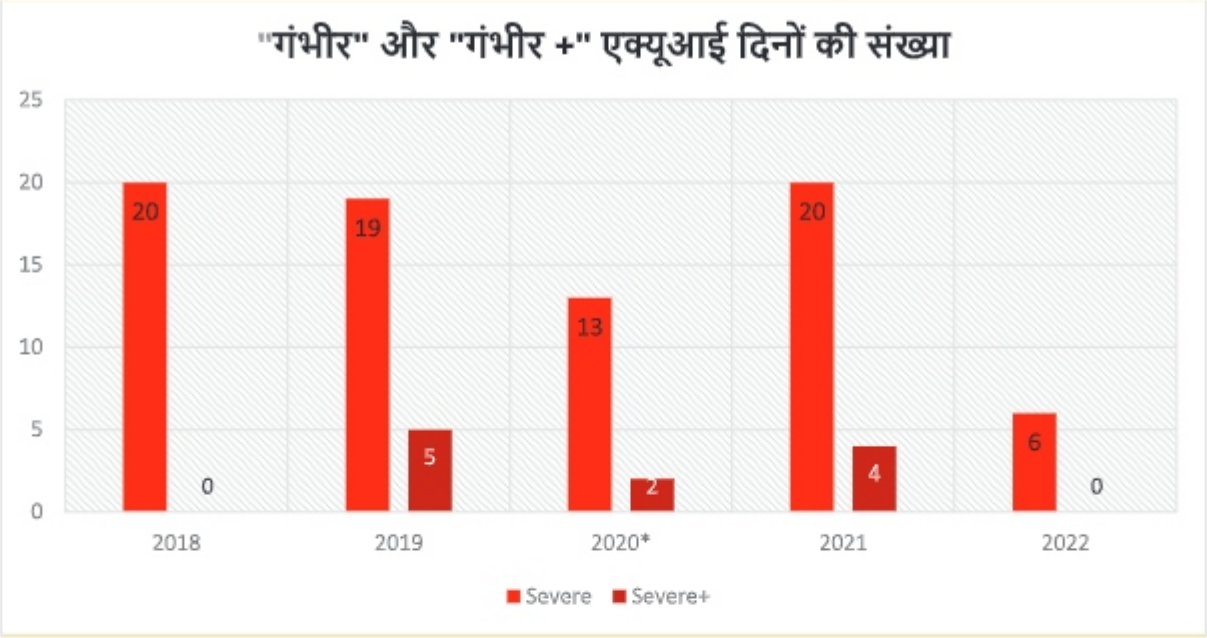

दिल्ली के लिए तुलनात्मक प्रति घंटा एक्यूआई मानदंड

वर्ष	कितने घंटे के लिए एक्यूआई "गंभीर" श्रेणी में था (**एक्यूआई** > 400)
2021	628 घंटे (वर्ष के कुल समय का 7.2%)
2022	204 घंटे (वर्ष के कुल समय का 2.3%)

Year	कितने घंटे के लिए एक्यूआई "अच्छा" श्रेणी में था (एक्यूआई < 200)
2021	827 घंटे
2022	1096 घंटे

दिवाली त्योहार के आसपास तुलनात्मक दिल्ली एक्यूआई

वर्ष	दिवाली से पहले का दिन	दिवाली का दिन	दिवाली के बाद का दिन
2018	338	281	390
2019	287	337	368
2020	339	414	435
2021	314	382	462
2022	**259**	**312**	**303**

दिवाली के त्योहार के आसपास 3 दिनों के लिए उपरोक्त एक्यूआई सारणीकरण इंगित करता है कि पहले कभी भी, दिल्ली का एक्यूआई 2022 की तुलना में बेहतर नहीं था।

मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान तुलनात्मक दैनिक औसत एक्यूआई

माह	2018	2019	2020	2021	2022
जनवरी	**328**	**328**	**286**	**324**	**279**
फ़रवरी	**243**	**242**	**241**	**288**	**225**
अक्तूबर	**269**	**234**	**266**	**173**	**210**
नवम्बर	**335**	**312**	**328**	**377**	**320**
दिसम्बर	**360**	**337**	**332**	**336**	**316**
इन माहों का औसत	**298**	**286**	**282**	**290**	**262**

मानसून के बाद और सर्दियों की अवधि, किसी विशेष वर्ष में अक्टूबर से अगले वर्ष फरवरी तक, धान की कटाई के मौसम के दौरान व्यापक रूप से खेत जलाने, धार्मिक त्योहारों और विवाह/ अन्य समारोहों आदि के दौरान पटाखे फोड़ने जैसी प्रासंगिक घटनाएं होती हैं। उपरोक्त के साथ, प्रतिकूल जलवायु, मौसम, कम तापमान और शांत हवा की स्थिति जो आमतौर पर पूरे क्षेत्र में सर्दियों के दौरान होती है, इस क्षेत्र से प्रदूषकों के प्रभावी फैलाव में बाधा डालती है, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान दिल्ली में दैनिक औसत एक्यूआई में वृद्धि होती है। वर्ष 2022 में विशेष रूप से मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता देखी गई, जो पूरे वर्ष निरंतर प्रयासों और विशेष रूप से इन महीनों के दौरान वायु प्रदूषण गतिविधियों को रोकने और कम करने के लिए ठोस अभियानों के कारण थी।

सभी हितधारकों की सामूहिक और सहयोगी भागीदारी, लगातार क्षेत्र स्तर के प्रयासों और लघु/मध्यम/दीर्घावधि में लक्षित नीतिगत पहलों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में साल-दर-साल क्रमिक लेकिन उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

10 अनुबंध

अनुबंध - I

आयोग द्वारा जारी निदेश

स्थापना के बाद से मार्च 2022 तक,		
निदेश सं.	**दिनांक**	**विषय**
1 से 5	23.12.2020	एनसीआर में निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) गतिविधियों से वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण / रोकथाम
6 से 10	10.06.2021	पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए रूपरेखा, कार्य योजना और कदम
11 से 18	11.06.2021	एनसीआर में निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी: "वेब पोर्टल का विकास"
19से 28	15.06.2021	सड़क स्वामित्व/रखरखाव/निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण कक्ष की स्थापना
29 से 31	12.08.2021	एनसीआर में उद्योगों का पीएनजी स्वच्छतर ईंधन में स्थानांतरण
32 से 36	16.08.2021	उपग्रह डेटा का उपयोग करके फसल अवशेष जलाने की घटना का अनुमान लगाने के लिए मानक प्रोटोकॉल
37 से 41	16.09.2021	पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन और समीक्षा
42	17.09.2021	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग द्वारा पूर्व स्थिति धान पुआल प्रबंधन
43	09.11.2021	एसडीएमसी द्वारा 10 चिन्हित दिल्ली सीमा प्रवेश स्थान पर आरएफआईडी बुनियादी ढांचे का पूर्ण स्वचालन
44	16.11.2021	दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा वायु गुणवत्ता परिदृश्य के मद्देनजर वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए कदम

45	25.11.2021	दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम स्कूलों, कॉलेजों आदि को फिजिकल मोड में चलाना
46	02.12.2021	दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा वायु गुणवत्ता परिदृश्य के मद्देनजर वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए कदम
47	07.12.2021	उद्योगों को पीएनजी में स्थानांतरित करना जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति पहले से ही उपलब्ध है
48	15.12.2021	जीआरएपी के तहत जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं के लिए दूध और डेयरी इकाइयों और चिकित्सा इकाइयों को छूट देना
49	15.12.2021	विभिन्न उद्योगों के संचालन का पुनर्निर्धारण और ताप विद्युत संयंत्रों को छूट देना
50	17.12.2021	स्कूल, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा निदेश संख्या -46 के अंतर्गत
51	17.12.2021	एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियां
52	20.12.2021	एनसीआर में ट्रकों के प्रवेश और निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंधों की समीक्षा निदेश संख्या -49 और 51 के अंतर्गत की गई
53	04.02.2022	जिन उद्योगों को पीएनजी में स्थानांतरित नहीं किया गया है, उनके संचालन से संबंधित निदेश संख्या -49 दिनांक 15.12.2021 की समीक्षा-राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्योगों के लिए बायोमास ईंधन को स्वीकृति देना
54 से 57	08.02.2022	डीजी सेट के उपयोग के लिए विनियम
58 से 61	22.02.2022	डिस्कॉम डीजी सेटों के उपयोग को कम करने के लिए एनसीआर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
62	17.03.2022	बायोमास ईंधन का उपयोग करके एनसीआर में औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्सर्जन के लिए मानक
2022-23 के दौरान जारी किए गए निदेश		
63	18.05.2022	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से परे एनसीआर में नए उद्योगों के लिए भी बायोमास ईंधन के उपयोग की अनुमति।
64	02.06.2022	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से बाहर एनसीआर में चुनिंदा औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुमेय ईंधन (मेट कोक और एलएसएचएस)

65	23.06.2022	एनसीआर में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुमोदित ईंधन की मानक सूची
66	05.08.2022	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)
67	12.09.2022	2022 में पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अद्यतन/संशोधित कार्य योजना का कार्यान्वयन और समीक्षा
68	14.09.2022	एनसीआर में 800 किलोवाट से अधिक क्षमता के डीजी सेट के उपयोग के लिए विनियम
69	02.11.2022	निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) परियोजनाओं में धूल नियंत्रण उपाय - एंटी-स्मॉग गन का अनिवार्य उपयोग
70	30.11.2022	सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से प्रदूषण को कम करना – डीजल चालित ओटो रिक्सा संबंधी विनियमन
71	09.02.2023	एनसीआर में जीआरएपी के अंतर्गत पाबंदी /प्रतिबन्ध से भिन्न अवधियों के लिए डी जी सेटों के लिए विनियमन
72	17.03.2023	एनसीआर में कोयला आधारित कैप्टिव थर्मल पॉवर प्लांट में बायोमास पेलेट्स को साथ साथ जलाना

आयोग द्वारा जारी किये गये परामर्शी

सलाह सं.	दिनांक	विषय
1	03.02.2021	ई-वाहन और शून्य उत्सर्जन वाहन
2	12.02.2021	सड़कों और खुले क्षेत्रों इत्यादि से धुल को कम करना
3 - 4	22.02.2021	सड़कों और खुले क्षेत्रों से धूल प्रदूषण में कमी
5 -7	28 .07 .2021	एक्स सिटू पराली प्रबंधन

अंनुबंध -II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के वर्ष 2022-23 के लेखा पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट -

1. हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1991 की धारा 19(2) के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी आयोग के प्रबंधन की है । हमारा दायित्व है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करें ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ है जिसमें लेखांकन के सम्बन्ध में लेखा प्रतिपादन केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंड आदि शामिल है। कानून के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह प्रदर्शन पहलू आदि, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखा परीक्षण रिपोर्ट की अलग से सूचना दी जाती है ।

3. हमने अपना लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है । इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षा की योजना बनाने और कार्यवाही करने से पहले इस बात का आश्वासन लें कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण चूकों से मुक्त है । एक लेखा परीक्षा में आंकलन परीक्षण के आधार पर किया जाता है जिसमें वित्तीय विवरण में दी गयी राशि के समर्थन में प्रमाण के लिए साक्ष्य भी शामिल है । एक लेखा परीक्षा में प्रयोग किये गए लेखांकन सिद्दांतों का आंकलन और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ वित्तीय विवरण की सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का आंकलन भी दिया जाता है । हम मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है ।

4. हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (i) हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी जानकारी और स्पष्टीकरण ले लिए है जो कि अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

   (ii) वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में इस रिपोर्ट के तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा तैयार किये गए है ।

   (iii) हमारी राय में उचित लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित दस्तावेज आयोग द्वारा नहीं बनाये गए है, जहाँ तक ऐसी पुस्तकों की जॉच करने से प्रतीत होता है ।

   (iv) हम आगे रिपोर्ट करते है कि:

(क) तुलन पत्र

1. संपत्तियां

1.1 अचल संपत्ति '271.60' लाख रुपयें (अनुसूची -8)

1.1.1 अचल संपत्ति का न्यून कथन :-

(I) आयोग ने वर्तमान वर्ष (2022-23) की शुरुआत की लागत 271.60 लाख रुपये के बजाय पिछलें वर्ष (2021-22) की शुरुआत की संम्पत्ति 324.59 लाख रुपये का मूल्यह्रास चार्ज किया है जिसके परिणाम स्वरुप अचल संम्पत्तियों का न्यून कथन (under statement) और 11.45 लाख रूपये का व्यय अतिरेक (over statement) दोनों हुआ है।

(II) पिछले वर्ष की एस ए आर रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था कि आयोग ने 291.50 लाख रूपये मरम्मत और रखरखाव व्यय (इलेक्ट्रिक फिटिंग, फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम, एल ए एन, सिविल व इंटीरियर वर्क, आडियो-विजुअल कार्य, हीटिंग व वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंगआदि) के लिए बुक किये गये जिसे अनुसूची-21 में संपत्तियों की तरह पूंजीकृत करने के बजाय "अन्य प्रशासनिक व्यय" दर्शाया गया। यधपि आयोग द्वारा चालू वित्त वर्ष में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गए है। चूँकि 56.53 लाख रुपये (2021-22 एवं 2022-23 क्रमश: 29.89 लाख रुपये और 26.64 लाख रुपए) की मूल्य ह्रास घटाने के परिणाम स्वरुप अचल संम्पत्तियों के न्यून कथन के अलावा 234.97 लाख रुपये का अतिरेक कथन दोनों हुआ।

(III) वेबसाइट एक अमूर्त संम्पत्ति है जिस पर 25% प्रति वर्ष के हिसाब से मूल्य ह्रास लगाया जाना है। आयोग ने एन आई सी के माध्यम से (नवम्बर 2022) में वेबसाइट को डवलप करने के लिए 11.24 लाख रुपये व्यय किये जोकि वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यह्रास घटाकर 1.41 लाख रुपये का व्यय हुआ, परिणाम स्वरुप संम्पत्तियों का न्यून कथन के अलावा 9.83 लाख रुपए का व्यय अतिरेक दोनों हुआ।

(ख) अनुदान सहायता :-

आयोग को 1260.00 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए, इसके अलावा 293.92 लाख रुपए का प्रारभिक शेष और 06.65 लाख रुपए की अन्य प्राप्तियाँ हुई। कुल उपलब्ध राशि 1506.57 लाख रुपए में से आयोग ने 1401.11 लाख रुपये की अदायगी की और 105.46 लाख रूपये अंतिम शेष थे।

(ग) सामान्य

(I) वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए अनुसंधान के लिए आयोग ने 92.47 लाख रुपये की स्वीकृत दी है। जिसे अनुसूची -22 में संगठन या सस्थानों को अनुदान के बजाय अनुसूची-21 में अनुसंधान एवं विकास के

रूप में बुक किया गया । आयोग ने अनुसूची-25 में 92.47 लाख रुपये समाश्रित दायित्व दिखाया है जो कि समाश्रित दायित्व न होने के कारण संगठन या संस्थान को दिया गया अनुदान के तौर पर (अनुसूची - 22) में दिखाया जाना चाहिए था ।

प्रबंधन पत्र :-

उन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है जिन्हें अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारी और सुधारात्मक उपायों के लिए सदस्य-सचिव, आयोग की जानकारी में लाया गया है :-

(i) पिछले पैरा ग्राफों पर हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति व भुगतान खाता की लेखा पुस्तकें इस रिपोर्ट से मेल खाते हैं ।

(ii) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और लेखा पर टिप्पणी के साथ और महत्व पूर्ण मामलों के अधीन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में दिए गये अन्य मामले भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रमाणीकरण में सही और निष्पक्ष राय देते हैं :-

(क) जहाँ तक यह आयोग के मामले की परिस्थिति के दिनांक 31 मार्च 2023 को तुलन पत्र से संम्बधित है,

(ख) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खातों के अधिशेष से संम्बधित है ।

भारत के सी ए जी के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

लेखा परीक्षा के महानिदेशक

(पर्यावरण एवं विज्ञान विभाग)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक :07/11/2023

अनुलग्नक

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग के आतंरिक लेखा परीक्षा वार्षिक रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,नई दिल्ली के प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा किया जाना अपेक्षित था। आयोग का आतंरिक लेखा परीक्षा वेतन एवं लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना से मार्च 2023 तक नहीं किया गया है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता -:

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियाँ लेखा परीक्षा में देखी गई - :

(1) आयोग द्वारा रखे गये किसी भी रजिस्टर में पृष्ठों की संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है ।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :-

(1) वर्ष 2022-23 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया ।

(2) अचल संपत्तियों का रजिस्टर जो लेखा परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया उसे वर्ष के अन्त में बन्द नहीं किया गया, क्योंकि रजिस्टर में मूल्य ह्रास की पृविष्ट नहीं की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ।

4. सामान सूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

(क) वर्ष 2022-23 के लिए सामान और उपभोज्य सामग्री का भौतक सत्यापन किया गया ।

(ख) परिग्रहण रजिस्टर और किसी भी पुस्तक में परिग्रहण संख्या का रिकॉर्ड नहीं पाया गया ।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितीकरण –

आयोग में वर्ष 2022-23 में देय होने की तारीख से 06 माह से अधिक अवधि के दौरान बकाया देयताओं से संबंधित कोई वैधानिक विवाद नहीं है ।

हस्ता०

उप निदेशक (ई ए)

महानिदेशक लेखा परीक्षा

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

ए.जी.सी.आर. भवन,इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,

नई दिल्ली - 110002

गुरवीन सिंधू, भा. ले.प.एव. ले.से.

डीजीए (ई एस डी) / ई ए / एस से आर / सी ए क्यू एम / 2022-23/ओ आई ओ एस / पी आर_-75116/169 दिनांक 07 नवम्बर 2023

प्रिय श्री नौटियाल,

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा का लेखा परीक्षण किया है और दिनांक 31-10-2023 के पत्र के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखा परीक्षा के दौरान परिशिष्ट 'क' के अनुसार कुछ कमियां पायीं गई जो कि अपेक्षाकृत बहुत छोटी है और इसलिए उन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। उपचारात्मक और सुधार करने हेतु आपकी जानकारी में लाई जा रही है।

शुभ कामनाओं सहित

आपका

हस्ताक्षरित

संलग्नक: यथोपरि

श्री अरविन्द नौटियाल

सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग,

17वां तल, जवाहर व्यापार भवन (एस टी सी बिल्डिंग),

टोलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

संलग्नक – क

(क) <u>तुलन पत्र</u>

I. परिसम्पत्तियाँ

I.I अचल सम्पत्तियाँ (अनुसूची 8) "271.60 लाख रुपये "

I.I.I. अचल सम्पत्तियाँ का न्यून कथन

(i) आयोग ने 0.11 लाख रुपये की पुस्तकें खरीदी लेकिन उसे अनुसूची 8 (पुस्तकालय पुस्तकें) में अचल संपत्ति के तौर पर बुक नहीं किया गया है जो कि वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यह्रास को घटाकर 0.04 लाख रूपये की राशि बनती है। परिणाम स्वरुप संपत्तियों के न्यून कथन के अलावा 0.07 लाख रुपए के व्यय का अतिरेक कथन हुआ है।

2. देयताएं

2.1 चालू देयताएं और उपबंध (अनुसूची -7) 105.85 लाख रुपये

2.1.1 देयताओं का न्यून कथन

(i) आयोग ने भारत के सी ए जी को देय लेखा परीक्षा शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और अनुसूची 7 में "चालू देयताओं और उपबंध" एवं अनुसूची 21 "अन्य प्रशासनिक व्यय" का लेखा दोनों में कोई शेष राशि नहीं दिखाई गई है। इसलिए उस सीमा तक देयताओं और व्यय का भी न्यून कथन हुआ।

(ख) आय एवं व्यय लेखा

1. व्यय 1429.12 लाख रूपये

1.1 स्थापना व्यय (अनुसूची 20) : 124.59 लाख रुपये

1.1.1 व्यय का अतिरेक

आयोग ने 2021-22 से सम्बंधित वाहनों का किराया, बिजली पर व्यय और कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग आदि पर भुगतान वित्त वर्ष 2022-23 में 4.41 लाख रुपये का भुगतान किया इसकी बजह से व्यय के अतिरेक के अलावा पिछली अवधि में किये गए व्यय में 4.41 लाख रूपये का न्यून कथन हुआ।

1.1.2 व्यय का न्यून कथन

आयोग ने 2022-23 से सम्बंधित वाहनों का किराया, बिजली पर व्यय और कर्मचारियो के आउटसोर्सिंग आदि पर 7.21 लाख रुपए की अदायगी की। हालाँकि 2022-23 के दौरान इस लेखा में व्यय के लिए

आयोग द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।इसके कारण 2022-23 के दौरान व्यय एवं चालू देयताओं दोनों का 7.21 लाख रुपये का न्यून कथन हुआ ।

(ग) सामान्य

आयोग के वार्षिक लेखा में पिछले वर्ष के अंकों में त्रुटियाँ :-

(i) वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा के अंकेक्षण एवं अनुमोदन के बाद आयोग द्वारा समाविष्ट किये जाने की जरुरत है और उसे वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा के पिछली वर्ष के कॉलम में दिखाया जाना चाहिए । यद्यपि आयोग के वार्षिक लेखा की जॉच के समय देखा गया कि निम्नलिखित अंको को वर्ष 2022-23 के विभिन्न लेखा शीर्षो में गलती से चालू वर्ष के लेखा में दिखाया गया :-

विवरण	आयोग के (2022-23) के चालू खाता में दिखायी गई राशि	पिछले वर्ष की आयोग की (2021-22) में दिखाई गई राशि
विभिन्न परियोजनाओं के विरुद्ध राशि की अदायगी की गई	889611	899611
अनुसूची -11		
चालू सम्पत्तियाँ		
हाथ में शेष राशि	10,000	-
कुल 'क'	23991638	23981638
'ख', ऋण, अग्रिम और अन्य सम्पतियॉ		
कर्मचारियों को ऋण	-	10,000

यद्यपि इन अंकों/राशि का चालू वर्ष के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसकी जॉच करके लेखा परीक्षण की जानकारी में सही करनें की जरुरत है जिससे कि आयोग के वार्षिक लेखा की सही और सत्य तस्वीर प्रस्तुत की सकती है ।

(ii) वर्ष 2022-23 के आयोग के वार्षिक लेखा अनुसूचियों के प्रारूप में निर्धारित लेखा प्रपत्र में निम्नलिखित विराम चिन्ह सम्बन्धी त्रुटियां लेखा परीक्षा द्वारा पायीं गई :-

क्र.सं.	शीर्ष	त्रुटियाँ
1.	प्राप्तियाँ और भुगतान	'प्राप्ति एवं भुगतान लेखा' की जगह "प्राप्ति एवं भुगतान' किया जाना चाहिए।
2.	अनुसूची -1 'समग्र या पूंजी निधि'	"वर्ष के अन्त में" की जगह पर "वर्ष के अन्त में शेष" लिखा जाए।
3.	अनुसूची -3 "निश्चित / विन्यास निधियाँ"	मद संख्या-3(ख) में किराया की जगह पर "किराया दरें और कर " लिखा जाना चाहिए।
4.	अनुसूची -5 'अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	"ब्याज" की जगह पर "प्रोद्भूत शोध्य ब्याज" लिखा जाये।
5.	अनुसूची -7 "वर्तमान देयताएं और उपबंध	'अन्य' को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
6.	अनुसूची -8 'नियत आस्तियों	'पिछले वर्ष' की लाइन में अंक नहीं दिए गये।
7.	अनुसूची-11 "चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि,"	'अन्य' को सही तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
8.	अनुसूची-20 'स्थापना व्यय'	'अन्य' को सही तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

(iii) लेखा के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लेखा की सारिणी में उचित प्रकार से पृष्ठ अंकित किया जाना चाहिए। आयोग द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

(iv) अनुसूची 25 के क्रम संख्या 9 में वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखा में आयोग ने 31-03-2023 की जगह 31-03-2022 तारीख अंकित की है।

हस्ता०

उप निदेशक (ई ए)

प्रारूप क

[नियम 3 (1) देखिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र

(राशि रु)

	विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	समग्र या पूंजी निधि और दायित्व			
1	समग्र या पूंजी निधि	1	2,43,29,550	2,80,21,624
2	आरक्षितियां और अधिशेष	2	-	-
3	निश्चित या विन्यास निधियां	3	-	-
4	प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-
5	अप्रतिभूत और आधार ऋण और उधार	5		
6	आस्थगित प्रत्यय दायित्व	6	-	-
7	चालू दायित्व और उपबंध	7	1,05,84,647	2,40,19,138
	योग		**3,49,14,197**	**5,20,40,761**
	आस्तियां			
1	स्थिर आस्थियां	8	2,39,57,124	2,71,59,513
2	निश्चित या विन्यास निधियों से विनिधान	9	-	-
3	विनिधान - अन्य	10	-	-
4	चालू आस्तियां , ऋण और अग्रिम	11	1,09,57,073	2,48,81,249
5	प्रकीर्ण व्यय (अपलिखित या समायोजित न की गई सीमा तक)		-	-
	योग		**3,49,14,197**	**5,20,40,761**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
	आकस्मिकदायित्व एवं लेखाओं पर टिप्पण	25		

टिप्पण: तुलनपत्र की सभी अनुसूचियां, लेखा का भाग बनेगी |

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

प्ररूप ख

[नियम 3(1) देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रु)

	विशिष्टियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय			
	सेवा से आय	12	-	-
	अनुदान या सहायकियां	13	13,89,17,788	17,15,88,558
	फीस या अभिदान	14	-	-
	विनिधान से आय (निधियां को अंतरित निश्चित या विन्यास निधियां से विनिधान पर आय)	15	-	-
	स्वामित्व , प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
	अर्जित ब्याज	17	-	-
	अन्य आय	18	-	-
	तैयार और क्रियाशील माल के स्टॉक में वृद्धि या कमी	19	-	-
	योग (क)		**13,89,17,788**	**17,15,88,558**
	व्यय			
	स्थापन व्यय	20	1,24,59,458	45,81,208
	अन्य प्रशासनिक व्ययआदि	21	12,43,16,297	13,36,85,969
	अनुदान , सहायकियों आदि पर व्यय	22	-	-
	ब्याज	23	6	96
	अवक्षयण	8	61,36,528	52,99,661
	योग (ख)		**14,29,12,288**	**14,35,66,935**
	क. अतिशेष , जो व्यय से आय का आधिक्य है (क-ख) =		(39,94,501)	2,80,21,624
	i. विशेष आरक्षिति को अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	ii. साधारण आरक्षिति को या उससे अंतरण		-	-
	(ख). अतिशेष , जो अधिशेष (घाटा) , समग्र या पूंजी निधि में ले जाया गया है |		**(39,94,501)**	**2,80,21,624**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
	आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	25		

टिप्पण : आय और व्यय लेखा की सभी अनुसूचियां, लेखा का भाग बनेगी|

स्थान :नई दिल्ली

तारीख :

प्ररूप 'ग'

[नियम देखिए 3(1)]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और संदाय लेखा

(राशि रु)

	विशिष्टियां	**चालू वृष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
	प्राप्तियां		
1	**आरंभिक अतिशेष**		
क.	हस्तगत नकदी	10,000	-
ख.	बैंक नकदी		
	परिचालन खाता		
	- चालू खाता	-	-
	- निक्षेप खाता	-	-
	- बचत खाता	2,39,81,638	-
2	**प्राप्त किए गए अनुदान या सहायकियां**		
क.	भारत सरकार से		
	- अनुदान : साधारण	12,10,00,000	18,00,00,000
	- अनुदान : वेतन	1,50,00,000	1,50,00,000
ख.	राज्य सरकारों से	-	-
ग.	अन्य श्रोतो से	7,652	-
	सेवाओं से आय	-	-
3	**विनिधान से आय**		
क.	निश्चित या विन्यास निधियां	-	-
ख.	निजी निधियां (अन्य विनिधान)	-	
4	**प्राप्त ब्याज**		
क.	बैंक निक्षेप से	6,57,685	5,70,196
ख.	ऋण और अग्रिमों से	-	-
5	**अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)**	-	-
6	**उधार ली गई रकम**	-	-
7	**कोई अन्य प्राप्तियां (विनिर्दिष्ट करें)**	-	-
	योग	**15,06,56,975**	**19,55,70,196**

	संदाय		
1	स्थापन व्यय	1,24,22,875	45,81,208
2	प्रशासनिक व्यय	12,35,26,038	13,36,85,969
3	परिचालन व्यय	-	-
4	**विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए किया गया संदाय** (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए संदाय की विशिष्टियां के साथ, निधि या परियोजना का नाम दर्शित किया जाना	-	8,89,611
5	**किये गये विनिधान और निक्षेप**		
क.	निश्चित या विन्यास निधियां	-	-
ख.	निजी निधियां (अन्य विनिधान)	-	-
6	**स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील कार्य पूंजी पर व्यय**		
क.	स्थिर आस्तियों पर	29,34,139	3,24,21,674
ख.	प्रगतिशील कार्य पूंजी पर	-	-
7	**अधिशेष धन या ऋण का प्रतिदाय**		
क.	भारत सरकार को	-	-
ख.	राज्य सरकारों को	-	-
ग.	अन्य निधि प्रदाताओ को	-	-
8	**वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	6	96
9	**अन्य संदाय (विनिर्दिष्ट करें)**	12,27,472	-
10	**अंत अतिशेष**		
	हस्तगत नकदी	7,229	10,000
	बैंक नकदी		
	परिचालन खाता		
	चालू खाता	-	-
	निक्षेप खाता	-	-
	बचत खाता	1,05,39,216	2,39,81,638
		15,06,56,975	**19,55,70,196**

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:

अनुसूची 1
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

समग्र या पूंजी निधि
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)		(2)	(3)
1	वर्ष के आरम्भ में अतिशेष	2,80,21,624	-
2	जोड़े: निधि के लिए आभिदाय	3,02,428	-
	जाड़ या (घटाए): आय और व्यय खाते से सकल आय या		
3	(व्यय) के अतिशेष का अंतरण	(39,94,501)	2,80,21,624
4	सरकार का प्रतिदेय रकम	-	-
	वर्ष के अंत में अतिशेष	2,43,29,550	2,80,21,624

अनुसूची 2
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

आरक्षितियाँ और अधिशेष
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूंजी आरक्षिति	-	-
	अंतेम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान वृद्धि		
2	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
	अंतेम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3	विशेष आरक्षिति		
	अंतेम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती		
4	सामान्य आरक्षित		
	अंतेम लेखा के अनुसार	-	-
	जोड़े - वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	घटाएं - वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	योग	-	-

अनुसूची 3
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निश्चित या विन्यास निधियाँ
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

विशिष्टियां	निधिवार ब्यौरा			योग	
	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1) (2)				(3)	(4)
1 **निधि का आरंभिक अतिशेष**	-	-	-	-	-
2 **निधियों में परिवर्द्धन:**					
क. दान या अनुदान	-	-	-	-	-
ख. निधियों के लेखे में किए गए	-	-	-	-	-
ग. अन्य परिवर्धन (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-
योग (1+2)	-	-	-	-	-
3 **निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग**					
क पूंजी व्यय					
- स्थिर आस्ति	-	-	-	-	-
- अन्य योग	-	-	-	-	-
ख. **राजस्व व्यय**					
वेतन, मज़दूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-
किराया , दर और कर	-	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-
योग(ग)	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में सकल अतिशेष (क+ख+ग	-	-	-	-	-

टिप्पण :

प्रकटन , अनुदान से संलग्न शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्षों के अधीन किए जाएंगे|केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियां पृथक निधियों के रूप में दर्शाई जानी चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिश्रित नहीं की जानी चाहिए|

अनुसूची 4

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

प्रतिभूत ऋण और उधार

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**केंद्रीय सरकार**	-	-
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**	-	-
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
क.	अवांधे ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
4	**बैंक**		
क.	अवांधे ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
ग.	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5	अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
6	डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)	-	-
	योग	-	-

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकमें|

अनुसूची 5

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

अप्रतिभूत ऋण और उधार

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**केंद्रीय सरकार**	-	-
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**	-	-
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
क.	अवांधे ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
4	**बैंक**		
क.	अवांधे ऋण	-	-
ख.	प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज	-	-
ग.	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
5	अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
6	डिबेंचर और बंधपत्र	-	-
7	सावांधे जमा		
8	अन्य (विनिर्दिष्ट करे)	-	-
	योग	-	-

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर शोध्य रकमें|

अनुसूची 6
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
आस्थगित ऋण एवं देयताएं
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	पूंजीगत उपकरण और अन्यआस्तियों के आकलन द्वारा	-	-
1	अन्य आस्तियां		
2	अन्य	-	-
	कुल	-	-
	नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि		

अनुसूची 7
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
वर्तमान देयताएं और उपबंध
31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्तमान देयताएं		
1	**स्वीकृतियां**	-	-
2	विविध लेनदार : -		
क.	सामान के लिए	-	-
ख.	अन्य	8,848	-
3	अग्रिम प्राप्तियां	-	-
4	प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		
क.	प्रतिभूत ऋण या उधार	-	-
ख.	अप्रतिभूत ऋण या उधार	-	-
5	**वैधानिक दायित्व**		
क.	आंतदेय	-	-
ख.	अन्य	36,583	-
6	**अन्य चालू देयताएं**		-
		1,05,39,216	2,40,19,138
	कुल (क)	**1,05,39,216**	**2,40,19,138**
	उपबंध		
1	कराधान के लिए	-	-
2	ग्रेच्युटी	-	-
3	सेवानिवृत्ति या पेंशन	-	-
4	संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5	व्यापार वारंटी या दावे	-	-
6	अवकाश वेतन देय	-	-
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	**1,05,39,216**	**2,40,19,138**

अनुसूची 8
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रा और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
नियत अस्तियां

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		वर्ष की शुरुआत में लागत	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कटौती या समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष की शुरुआत के रूप में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन पर कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत की तरह
क	नियत अस्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क	पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख.	पट्टे पर दिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	इमारतें:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क.	पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख.	पट्टे पर दिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग.	स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ.	भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	यान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	फर्नीचर एवं फिक्सचर	75,90,416	3,82,114	-	79,72,530	7,57,192	7,81,697		15,38,889	64,33,641	68,33,224
6	कार्यालय उपकरण	2,00,59,876	10,39,568	-	2,10,99,444	29,89,682	30,86,949	-	60,76,631	1,50,22,813	1,70,70,194
7	कंप्यूटर सहायक उपकरण	48,08,882	15,12,457	-	63,21,339	15,52,788	22,67,881	-	38,20,669	25,00,670	32,56,094
8	विद्युत प्रतिष्ठान	-	-	-	-	-	-	-			-
9	पुस्तकालय पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल वर्तमान वर्ष	**3,24,59,174**	**29,34,139**	-	**3,53,93,313**	**52,99,661**	**61,36,528**	-	**1,14,36,189**	**2,39,57,124**	**2,71,59,513**
	पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	चालू पूँजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क+ख)	**3,24,59,174**	**29,34,139**	-	**3,53,93,313**	**52,99,661**	**61,36,528**	-	**1,14,36,189**	**2,39,57,124**	**2,71,59,513**

अनुसूची 9

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निर्धारित या बंदोबस्ती निधि से निवेश

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां					चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-			-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-			-	-
3	शेयरों	-	-			-	-
4	ऋण पत्र और बांड	-	-			-	-
5	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-			-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-			-	-
	कुल	-	-			-	-

अनुसूची 10

[प्ररूप क देखिए]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

निवेश अन्य

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3	शेयरों	-	-
4	ऋण पत्र और बांड	-	-
5	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 11
[प्ररूप क देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
चालू आस्थियां , ऋण, अग्रिम आदि

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्तमान संपत्ति		
1	सूची		
	1) स्टोर और पुर्जे	-	-
	2) फुटकर उपकरण	-	-
	3) व्यापार में स्टॉक		
	क) तैयार माल		-
	ख) कार्य प्रगति पर है	-	-
	ग) कच्चा माल	-	-
2	विविध देनदार		
क.	छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख.	अन्य	-	-
3	हाथ में नकद शेष (चेक या ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	7,229	10,000
4	बैंक शेष :		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ		
	चालू खाते पर	-	-
	जमा खाते पर	-	-
	बचत खातों पर	1,05,39,216	2,39,81,638
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	चालू खाते पर	-	-
	जमा खाते पर	-	-
	बचत खातों पर	-	-
5	डार्कघर - बचत खाते	-	-
6	अन्य	4,10,628	-
	कुल (क)	**1,09,57,073**	**2,39,91,638**
	ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां		
1	को ऋण :		
क	कर्मचारी	-	-
ख	संस्था के समान गथिविधियॉ या उद्देश्यों में संलग्न अन्य	-	-
ग	अन्य (निर्दिष्ट करें		8,89,611
		-	
2	**नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि**		
	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के	-	
(क)	पूंजी खाते पर	-	-
(ख)	पूर्वभुगतान	-	-
(ग)	सुरक्षा जमा	-	-
(घ)	अन्य	-	-
3	**प्रोद्भूत आय**		

(क)	निर्धारित या बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-
(ख)	निधि	-	-
(ग)	ऋण और अग्रिम पर	-	-
(घ)	अन्य (अप्राप्त देय आय सहित (रू०)	-	-
4	**प्राप्त दावे**	-	-
	कुल (ख)		**8,89,611**
	कुल (क+ख)	**1,09,57,073**	**2,48,81,249**

अनुसूची 12
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
सेवाओं से आय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वृत्तिक या परामर्श सेवाएं	-	-
2	अन्य निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची13
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अनुदान और सहायकी (सब्सिडी)

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केंद्र सरकार	13,89,17,788	17,15,88,558
2	राज्य सरकार/सरकारें	-	-
3	सरकारी संस्थाएं	-	-
4	संस्थाएं या कल्याणकारी निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	**13,89,17,788**	**17,15,88,558**

अनुसूची14
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
फीस या अभिदाय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
		-	-
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	दाखिल करने का शुल्क	-	-
3	संगोष्ठी या कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	सलहाकरी संस्था का शुल्क	-	-
5	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

नोट - प्रत्येक मद के संबंध में लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण किया जाना है

अनुसूची 15
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
निवेश से आय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

		निर्धारित निधि से निवेश		विनिधान -अन्य	
	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ब्याज				
क.	सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-	-
ख.	अन्य बांड या डिबेंचर	-	-	-	-
2	लाभांश				
क.	शेयरों पर	-	-	-	-
ख.	पारस्परिक निधि प्रतिभूत पर	-	-	-	-
3	अन्य (विनिदिर्ष्ट करें)	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-
	निर्धारित या बंदोबस्ती निधियों में स्थानांतरित				

अनुसूची 16
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्वामित्व से आय	-	-
2	प्रकाशनों से आय	-	-
3	अन्य (विनिदिर्ष्ट करें)	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची 17
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अर्जित ब्याज

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**सावधि जमा पर:**		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग.	संस्थाओं के साथ	-	-
घ.	अन्य	-	-
2	**बचत खातों पर:**		
क.	अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख.	गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग.	डाकघर बचत खाते	-	-
घ.	अन्य	-	-
3	**ऋण पर:**		
क.	कर्मचारी/ कर्म चारिवृन्द	-	-
ख.	अन्य	-	-
4	देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
	कुल	-	-
	नोट - स्रोत पर कर कटौती दर्शाई जाए		

अनुसूची 18
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अन्य आय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आस्तियों के विक्रय या निपटान पर लाभ:		
क.	स्वामित्वधीन आस्तियाँ	-	-
ख.	अनुदानो से अर्जित या निशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2	परिनिर्धारित नुकसानी वसूल किया गया जुर्माना	-	-
3	प्रकीर्ण सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4	किराया	-	-
5	प्रकीर्ण आय	-	-
	कुल	-	-

अनुसूची19
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि या कमी और प्रगति शील कार्य

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अंतिम माल		
क.	तैयार माल	-	-
ख.	चालू कार्य	-	-
2	घटाएं-प्रारम्भिक स्टाक		
क.	तैयार माल	-	-
ख.	चालू कार्य	-	-
	शुद्ध वृद्धि या (कमी) [1-2]	-	-

अनुसूची 20
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
स्थापन व्यय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वेतन और मजदूरी	91,93,456	42,03,889
2	अतिकालिक भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	19,42,589	-
4	चिकित्सा उपचार	-	-
5	शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	-	-
6	घरेलू यात्रा व्यय	-	-
7	विदेशी खर्च	-	-
8	एनपीएस में अभिदान	12,27,148	3,77,319
9	उपदान निधि में अभिदान	-	-
10	अवकाश वेतन पेंशन अभिदान	-	-
11	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर सेवांत लाभ	-	-
12	अन्य निधि में अभिदान (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
13	कर्मचारिवृन्द कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (निर्दिष्ट करें)	96,265	-
	कुल	**1,24,59,458**	**45,81,208**

अनुसूची 21
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	क्रय	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	दुलाई और आवक वहन व्यय	-	-
4	बिजली और उर्जा	17,26,219	12,04,143
5	जल प्रभार	2,36,414	1,38,869
6	बीमा	-	-
7	मरम्मत और रखरखाव	59,50,594	3,52,47,419
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	7,34,01,756	6,89,00,115
10	यान चालन, अनुरक्षण भाडा संबंधी प्रभार	22,95,207	5,71,909
11	डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	13,18,467	8,21,900
12	छपाई और लेखन सामग्री	1,057,592	675,538
13	यात्रा और वाहन व्यय	4,35,473	8,77,251
14	संगोष्ठी या कार्यशालाओं पर व्यय	8,07,506	26,72,306
15	अभिदाय व्यय	35,683	19,110
16	शुल्क का व्यय	-	93,23,466
17	लेखा परीक्षक पारिश्रमिक या विधिक शुल्क	5,34,872	5,58,617
18	आतिथ्य व्यय		70,790
19	वृत्तक प्रभार	17,49,535	35,400
20	पुस्तके और पत्रिकाएँ	1,37,615	61,588
21	भर्ती व्यय	-	-
22	ख़राब और संदिग्ध ऋणों /अग्रिमों के लिए उपबंध	-	-
23	अपरिवर्तनीय शेष राशि वापस आ जाती है	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन और प्रचार	17,060	32,000
28	कानूनी शुल्क	-	-
29	संविदा कर्मचारियों को संदाय (एमटीएस, ऑफिस बॉयज, आदि	2,48,81,756	1,20,58,555
30	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		4,16,933
	- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	51,913	
	- अनुसंधान एवं विकास	92,46,730	
	- सामान एवं उपभोज्य	4,01,337	
	- कार्यालय व्यय	30,568	
	कुल	**12,43,16,297**	**13,36,85,969**

अनुसूची 22
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संस्थानों या संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
2	संस्थानों या संगठनों को दी जाने वाली सहयिकी	-	-
	कूल	-	-

"नोट: संस्थाओं के नाम, उनके कार्य कलापों सहित अनुदानों और सहायिकी की रकम का प्रकटीकरण किया जाये |

अनुसूची 23
[प्ररूप ख देखिए]
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
ब्याज

31 मार्च, 2023 को तुलनपत्र का भागरूप

(राशि रु.)

	विशिष्टियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ब्याज		
क.	नियत ऋणों पर	-	-
ख.	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
ग.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
2	बैंक प्रभार	6	96
	कूल	6	**96**

अनुसूची24–
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
(दृष्टान्त रूप)

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण ,जब तक अन्यथा कथन न किया जाए, ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोद्वन पद्वति पर तैयार जाता है |

2. विनिधान

"दीर्घकालिक विनिधान " के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत पर किए जाते हैं |अस्थायी से भिन्न , इंकार के लिए उपबंध ऐसे विनिधानों की वहन लागत पर किया जाता है |

"वर्तमान "के रूप में वर्गीकृत विनिधान लागत से निम्न और उचित मूल्य पर की जाती है |ऐसे विनिधानों की मूल्य पर कमी के लिए उपबंध प्रत्येक विनिधान के लिए व्यष्टिक रूप से विचार किया जाता है और वैश्विक स्तर पर नहीं|

लागत के अंतर्गत अर्जन व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप आदि भी हैं |

3. स्थावर आस्तियां

स्थावर आस्तियां का कथन अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसके अंतर्गत आवक भाड़ा, शुल्क और करों तथा अर्जन से सम्बंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय भी हैं | ,सन्निर्माण अन्तर्वलित करने वाली परियोजनाओं के संबंध में ,पूर्व-परिचालन व्यय) जिसके अंतर्गत विशिष्ट परियोजना के लिए उसके पूर्ण होने से पूर्व ऋण पर ब्याज भी हैं (और पूंजीकृत आस्तियों का मूल्य भाग रूप में सम्मिलित हैं |

स्थावर आस्तियां जो गैर – मौद्रिक अनुदान द्वारा प्राप्त की जाती हैं)कार्पस निधि से भिन्न (उस पूंजीकृत मूल्य पर अधिकथित की जाती है जो पूंजी आरक्षिती में जमा है|

4. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास ,स्थावर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के संपरिवर्तन के कारण उदभूत होने वाले समायोजन लागत के मूल्यह्रास के सिवाय ,आयकर अधिनियम1961 , में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्वति के अनुसार उपबंधित है, जो कि संबंधित आस्तियों के अधिशेष कालावधि पर परिशोधित की जाती है |

वर्ष के दौरान स्थावर आस्तियों में परिवर्धन या से कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है|

5,000 रुपए या कम लागत वाली प्रत्येक आस्ति पूर्ण उपबंधित है|

5. प्रकीर्ण व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय उस वर्ष, जिसमें वह उपगत किया जाता है, से5 वर्ष की अवधि के भीतर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है |

6. सरकारी अनुदान या सहायिकी

सरकारी अनुदानों के अभिदाय के रूप में प्राप्त पूंजी लागत परियोजनाओं की स्थापना हेतु पूंजी आरक्षिती के रूप में मानी जाती है |

विशिष्ट स्थावर संपत्तियों के सम्बन्ध में अनुदान संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में उपदर्शित की गई है |सरकारी अनुदान या सहायिकी को वसूली के आधार पर हिसाब में लिया जाता है |

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार,

विदेशी मुद्रा में किए गए ,संव्यवहार ,संव्यवहार की तारीख को अभिभावी विनियम दर पर हिसाब में लिया जाता है |वर्तमान आस्तियां ,विदेशी मुद्रा ऋण और विद्यमान देयताएं वर्ष के अंत में अभिभावी विनियम दर के आधार पर संपरिवर्तित की जाती हैं और यदि स्थावर संपत्ति से सम्बंधित विदेशी मुद्रा दायित्व है तो परिणामिक लाभ या हानि स्थावर आस्तियों की लागत में समायोजित की जाती है और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में समझी जाती है |

8. पट्टा

पट्टा भाड़ा, पट्टे के निबंधनों के अनुसार व्यय किया जाता हैं|

9. सेवानिवृत लाभ

कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर देय उपदान का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उद्भूत होता है |

कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का उपबंध इस धारणा पर उद्भूत और संगणित होता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं |

अनुसूची – 25

समाश्रित दायित्व और लेखा टिप्पणियां
(दृष्टांत रूप)

1. समाश्रित दायित्व

आस्तित्व के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नही है शून्य रुपए)पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं)

निम्नलिखित के संबंध में :

अस्तित्व की ओर से या उसके द्वारा दी गई बैंक प्रत्याभूति ..... शून्य रुपए) पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं (

अस्तित्व की ओर से बैंक द्वारा दिए गए साख –पत्र..... शून्य.....रूपए)पूर्ववर्ती वर्ष – लागू नहीं(

- बैंक से छूट प्राप्त बीजक शून्य रुपए)पूर्ववर्ती वर्ष– लागू नहीं(
- विवादित मांग के सम्बन्ध में -:

आदेशों के गैर निष्पादन के लिए पक्षकारों के दावों के संबंध में किन्तु जिनका अस्तित्व द्वारा प्रतिवाद किया गया है शून्य रुपए)पूर्ववर्ती वर्ष - लागू नहीं (

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा के सम्बन्ध में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का प्राक्कथित मूल्य और जिसके लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है)शुद्ध अग्रिम (शून्य रुपये) पूर्ववर्ती वर्ष..... रुपए (लागू नहीं

3. पट्टा संबंधी बाध्यता

वित्त पट्टा व्यवस्था के अधीन संयंत्र और मशीनरी के लिए भाड़े हेतु भावी दायित्व शून्य रुपए)पूर्ववर्ती वर्ष- लागू नहीं (

4. वर्तमान आस्तियां ,ऋण और अग्रिम

(i) प्रबंधन की राय में ,कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली करने पर विद्यमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शित कुल रकम के बराबर है |

(ii) 31मार्च202 ,3 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक, विभिन्न सरकारी विभागों ,

कर्मचारीबृंद और अन्य को संदत्त अग्रिम और ऋण शून्य रुपए ,संबद्ध विभाग द्वारा समझौते के अधीन व्ययों के लिए समायोज्य हैं |

5. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 , के अधीन किसी प्रकार की कराधान योग्य आय न होने को ध्यान में रखते हुए ,आयकर के लिए कोई उपबंध किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है |

6. समाश्रित दायित्व

आयोग ,कतिपय निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, विभिन्न अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मंजूर की गई रकम के भावी संदाय हेतु बाध्य है |अत :यह एक समाश्रित दायित्व माना जाए जो भविष्य में संदाय हेतु उद्भूत हो सकेगा |सम्बंधित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं - :

I. वायु गुणवत्ता प्रबंध पर अनुसन्धान 92,46,730/– रू

II. प्रशिक्षण ---------- शून्य

कुल ----------92,46,730/– रू

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

सी.आई.एफ .के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य :

- तैयार माल का क्रय
- कच्ची सामग्री और उसके घटक)जिसके अंतर्गत मार्गस्थ भी है (
- पूंजी माल
- विदेशी मुद्रा में भंडार, कल- पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं पर किया गया व्यय
- यात्रा
- विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं या बैंकों को ब्याज संदाय और धन – प्रेषण
- अन्य व्यय
- विक्रय पर कमीशन
- विधिक और वृत्तिक व्यय
- प्रकीर्ण व्यय
- उपार्जन

एफ ओं बी के आधार पर निर्यातों का मूल्य

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक :

लेखा परीक्षकों के रूप में:

-कराधान संबंधी मामले– शून्य

-प्रबंधन सेवाओं के लिए –शून्य

-अधिप्रमाणन के लिए - –शून्य

-अन्य ----------–शून्य

8. पूर्ववर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़ों का पुन :समूहीकरण या पुनः व्यवस्थापन, जहां कहीं आवश्यक हैं ,किया गया है|

9. 31मार्च202 ,2 पर तथा उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा तुलन पत्र से अनुसूची1 से अनुसूची 25 पर उपाबद्ध हैं और उसका आंतरिक भाग हैं|

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2022-23 में कार्रवाई योग्य मदों का उत्तर -:

आयोग ने 14.07.2023 को सीएजी के डीजी (लेखा परीक्षा) पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग को प्रमाणित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, रसीद और भुगतान खाता, तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां और लेखों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग के खातों का लेखा परीक्षा करने के लिए डीजी (लेखा परीक्षा) पर्यावरण और वैज्ञानिक कार्यालय से आयोग में तैनात सांविधिक लेखा परीक्षा टीम ने अपना लेखा परीक्षण 25.07.2023 को शुरू किया और 11.08.2023 को पूरा किया। लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र, आय और व्यय खाता, रसीद और भुगतान खाता, तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां और लेखों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, प्राप्त हो गए हैं। विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट का बिंदुवार उत्तर इस प्रकार है;

क .तुलन पत्र

1 संपत्तियां

1.1 अचल संपत्तियां (अनुसूची - 8) 271.60 लाख रुपये

1.1.1 अचल संपत्तियों का न्यून कथन (under statement)

(i) आयोग ने वर्तमान वर्ष (2022-23) की शुरुआत में संम्पत्ति 271.60 लाख रुपये के बजाय 324.59 लाख रुपये की लागत की अपनी संम्पत्ति का मूल्यह्रास चार्ज किया है जिसके परिणाम स्वरुप अचल संम्पत्तियों का न्यून कथन और 45.11 लाख रूपये का व्यय अतिरेक हुआ है |

उत्तर :- लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में इस पर कार्रवाई की जाएगी |

(ii) पिछले वर्ष की एस ए आर रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था कि आयोग ने 291.50 लाख रूपये मरम्मत और रखरखाव व्यय (इलेक्ट्रिकल फिटिंग फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम,एल ए एन, सिविल व् इंटीरियर वर्क, आडियो विजिवल कार्य और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग आदि) के लिए बुक किये गये संपत्तियों की तरह पूंजी कृत करने के बजाय "व्यय" दिखया गया | यद्यपि आयोग द्वारा चालू वित्त वर्ष में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गए है चूँकि | वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 क्रमश: 56.53 लाख रुपये (29.89 लाख रुपये और 26.64 लाख रुपए) का मूल्यह्रास घटाने के परिणामस्वरुप अचल संम्पत्तियों के न्यून कथन के अलावा 9.89 लाख रुपये का अतिरेक कथन हुआ |

उत्तर: एसएआर 2021-22 में एक समान मद के उत्तर के मद्देनजर (जहाँ पूंजीकृत संपत्ति के रूप में 291.50 करोड़ रुपये रखने के कारण भविष्य में अनुमानित कठिनाई का उल्लेख

किया गया था) प्रश्न में राशि को अन्य प्रशासनिक व्यय में रखा गया था। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से इस पर कार्रवाई की जाएगी।

(iii) वेबसाइट एक अमूर्त संपत्ति है जिस पर प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास लगाया जाएगा। आयोग ने एनआईसी (नवम्बर 2022) के माध्यम से एक वेबसाइट के विकास पर 11.24 लाख रुपये की राशि खर्च की थी, जो मूल्यह्रास राशि की कटौती के बाद वर्ष 2022-23 के लिए 1.41 लाख रूपये थी जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों में न्यूनकथन के अलावा व्यय में भी 9.83 लाख रुपये का अतिरेक कथन हुआ |

उत्तर :लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से इस पर कार्रवाई की जाएगी।

ख .सहायता अनुदान:

आयोग को 1260.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान के अलावा 239.92 लाख रुपये की प्रारंभिक शेष राशि और 06.65 लाख रुपये की अन्य प्राप्तियां प्राप्त हुईं। कुल उपलब्ध राशि में से 1506.57 लाख रूपये में से आयोग ने 1401.11 लाख रुपये का भुगतान किया और 105.46 लाख रुपये की राशि अंतिम शेष थी।

उत्तर: यह अनुदान सहायता का सार है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसका उपयोग केवल रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए था।

ग .सामान्य-:

(i) आयोग ने 92.47 लाख रुपये की राशि वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर अनुसंधान के लिए मंजूर की है। और इसे अनुसूची-22 में संगठनों या संस्थानों को दिए गए अनुदान के बजाय अनुसूची-21 में अनुसंधान एवं विकास के रूप में दर्ज किया गया है। आयोग ने 92.47 लाख रुपये अनुसूची 25 में आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाए हैं जो आकस्मिक देनदारी नहीं है बल्कि संगठन या संस्थान को दिया जाने वाला अनुदान है (अनुसूची-22) |

उत्तर – लेखा परीक्षा की टिप्पणी को नोट किया गया है और अगली वित्त वर्ष से उस पर कार्रवाई की जायेगी |

अनुलग्नक

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आयोग की आंतरिक लेखापरीक्षा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आयोजित की जानी आवश्यक थी। वेतन एवं लेखा कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

द्वारा आयोग की शुरुआत से लेकर मार्च 2023 तक आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।

उत्तर: मामला पहले ही उठाया जा चुका है और पत्र संख्या एफ - 25011/01/2022-एफ&ए दिनांक 06.09.2023, के माध्यम से उचित कार्रवाई के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लिखा गया है। पूर्ववर्ती पत्र क्रमांक के अनुसार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र संख्या एफ-25011/01/2022-एफ&ए दिनांक 24.11.2022 और 15.03.2023 के तहत अनुस्मारक भेजा गया।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

लेखापरीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कमियाँ देखी गईं:

(i) आयोग द्वारा बनाए गए किसी भी रजिस्टर में पृष्ठों की संख्या के संबंध में प्रमाण पत्र दर्ज नहीं पाया गया।

उत्तर: अगले वित्तीय वर्ष से अनुपालन के लिए नोट किया गया।

3. **अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था**

(i) वर्ष 2022-23 हेतु अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है।

(ii) लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया अचल संपत्ति रजिस्टर वर्ष के अंत तक बंद नहीं किया गया था क्योंकि रजिस्टर में मूल्यह्रास की प्रविष्टि नहीं की गई थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था।

उत्तर :लेखा परीक्षा टीम द्वारा किए गए अवलोकन के अनुसार, मूल्यह्रास प्रविष्टियों को अद्यतन करने के लिए अचल संपत्ति रजिस्टर के संम्बंध में कार्रवाई की जा रही है।

4. सूची (इन्वेंट्री) के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

(i) वर्ष 2022-23 के लिए स्टॉक एवं उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

(ii) परिग्रहण रजिस्टर एवं किसी भी बही पर परिग्रहण क्रमांक दर्ज नहीं पाया गया।

उत्तर :आयोग ने अब पुस्तकों के साथ - संख्या रखना शुरू साथ रजिस्टर में भी परिग्रहण कर दिया है।

5. **वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता**

आयोग के पास 2022-23 के दौरान देय तिथि से छह महीने से अधिक समय तक कोई विवादित वैधानिक बकाया नहीं था।

उत्तर: यह केवल रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए है |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वी मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एस.टी.सी. बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

दूरभाषः 011–23701213, ई–मेल : caqm-ncr@gov.in